खंड 10 संख्या 6

बिहार विधान-सभा

(भाग 2—कार्यवाही प्रश्नोत्तर रहित)

सोमवार, तिथि 27 जून, 1983।

विषय-सूची

		पृष्ठ
स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं (अमान्य)	...	1—4
शून्य-काल की चर्चाएं		5—8
(क) श्रीमती चान्दमनी देवी के साथ बलात्कार	...	
(ख) पकड़ीदयाल तथा मधुबन प्रखंडों में जलापूर्ति योजना का कार्यान्वयन		
(ग) रोहतास जिला में नहर की दयनीय दशा	...	
(घ) मनोरा नहर में पानी की व्यवस्था	...	
(ङ) जहानाबाद को जिला बनाना	...	
(च) आदिवासियों के साथ पुलिस जुल्म	...	
अत्यावश्यक लोक महत्व के विषय पर ध्यानाकर्षण		8
श्री राजकुमार पूर्वे, स० वि० स० पर लाठी चार्ज तथा उनकी गिरफ्तारी		
आय-व्ययक : 1983-84 के आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद (क्रमशः):		9—42
विधान-सभा के नियमावली के नियम 41 के अन्तर्गत प्रस्ताव: [स्वीकृत]		42
आय-व्ययक : 1983-84 के आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद (स्वीकृत) :		43—67
निवेदनों के संबंध में सूचना :	...	68
दैनिक निबन्ध :	...	69—71

टिप्पणी—किन्हीं भी मंत्रियों एवं सदस्यों ने अपना भाषण संशोधन नहीं किया है, उनके नाम के आगे (*) चिह्न लगा दिये गये हैं।

आय-व्ययक:

1983-84 के आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद।

श्री इंदर सिंह नामधारी—अध्यक्ष महोदय, सदन में बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हो रही हैं। माननीय मुख्य मंत्री इसको सुनने का कष्ट करेंगे और सरकारी जवाब में मुख्य मंत्री जी इधर-उधर की बात नहीं कर माननीय सदस्य जो प्रश्न सदन में उठाते हैं अपने भाषण के क्रम में उसका जवाब देंगे। यदि मुख्य मंत्री सदन में नहीं रहें तो वे किसी मंत्री को डिपुट कर दें, प्वायन्ट नोट करने के लिए और सरकार जवाब में उन सारी बातें जो माननीय सदस्य द्वारा उठाये जायें उसका जवाब दें। ऐसा नहीं कि आम के बदले इमली की बात करने लगें।

श्री कर्पूरी ठाकुर—जी हाँ, अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जो जवाब देते हैं वे तो दें लेकिन माननीय सदस्यों के प्वायन्ट का जवाब देने के लिए किसी दूसरे मंत्री को रखें ताकि वे सदन में उठाये गये विन्दुओं का जवाब दें जैसा कि श्री के० बी० सहाय के समय में हुआ करता था। लेकिन हमारे वर्तमान मुख्य मंत्री जैसा अनर्गल जवाब देते हैं, वे वैसा दिया करें लेकिन प्वायन्ट्स के जवाब के लिए दूसरे मंत्री रहें।

श्री रामलखन सिंह यादव—अध्यक्ष महोदय, वर्ष 1983-34 के बजट पर और उसके भिन्न-भिन्न पहलुओं पर कई माननीय सदस्यों ने अभी तक अपना विचार प्रकट किये हैं। मैं चाहूँगा कि अपने भाषण को सीमित रखते हुए राज्य के आर्थिक पहलू और अन्य समस्या जो हमारे सूबे में है उस पर अपना विचार व्यक्त करूँ। हमारे सूबे की आर्थिक व्यवस्था इतनी बर्बाद हो गयी है जिसके चलते राज्य का सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक सभी क्षेत्र में बहुत बड़े पैमाने पर ह्रास हो रहा है। बजट को देखने से पता चलता है कि हमारा राजस्व प्राप्ति 1473.71 करोड़ की है और राजस्व एक्सपेन्डीचर 1551.07 करोड़ है। इस तरह से जो हमारा आय का स्रोत है उसका 110 प्रतिशत से अधिक हमारे यहां के तमाम मुलाजिम के तनख्वाह और स्थापना पर चला जाता है। इस तरह राजस्व प्राप्ति से हमारे सूबे की प्रगति का कुछ भी काम नहीं हो सकता है। तब संभवत: हमारे बजट में जो विकास का लक्ष्य रखा गया है और बजट जिस तरह से पेश हुआ है वह सिर्फ औपचारिकता ही है। इससे राज्य की प्रगति और विकास की बात करना बेकार है। अभी तक जो भी हमने विकास किया है वह प्लान पर निर्भर है उसी से किया है। बजट के अलावा जो रुपया मिलता है उसी पर

राज्य का विकास निर्भर करता है। लेकिन प्लान को देखने से पता चलेगा कि जो हमारा प्लान एक्सपेन्डीचर पर कैपिटा है उसकी अवस्था भी बहुत ही खराब है। पहला प्लान को देखेंगे तो पता चलेगा कि बिहार में प्रति कैपिटा खर्च हुआ है और आल इंडिया का एभरेज है 24 रुपया, सेकेन्ड प्लान में 18 है जबकि आल इंडिया का 26 है एभरेज थर्ड प्लान में पर कैपिटा खर्च है 45 रुपया और आल इंडिया का एभरेज है 55 रुपया फोर्थ प्लान में हमारे यहाँ का 57 रुपया है वहीं आल इंडिया का एभरेज 99 रुपया, पांचवा प्लान में हमारा खर्च का पर कैपिटा है 37 रुपया वहीं आल इंडिया का एभरेज है 57 रुपया। इस तरह से आप देखेंगे कि प्लान में भी हमारा जो पोजीशन है आल इंडिया एभरेज से बहुत ही कम है। इससे हम विकास की अपेक्षा नहीं कर सकते हैं और इससे हमारे प्रदेश का विकास नहीं हो सकता है। हमारे यहाँ पर कैपिटा एक्सपेन्डीचर किस तरह का है जिससे कि हमारा जो सोशल काम है वह भी ह्रास हो रहा है। सोशल काम जिसमें हेल्थ प्रमुख है, शिक्षा प्रमुख है इसके अलावा सोशल सिक्युरिटी है को आप देखेंगे तो पता चलेगा कि सरकार का जो दावा है वह गलत है।

आप देखेंगे कि सरकार का जो खर्च हो रहा है सोशल कामों में वह बहुत कम हो रहा है। पर कैपिटा खर्चा हमारे यहाँ हेल्थ पर, एडुकेशन पर और सोशल सिक्यूरिटी पर कितना हो रहा है और दूसरे स्टेट कितना कर रहा है यह आंकड़ा से पता चलेगा।

बिहार हेल्थ पर पर कैपिटा 4.93 रुपया, एडुकेशन पर 15.87 रुपया और सोशल सिक्यूरिटी पर 1.81 रुपया खर्चा करता है।

आंध्रा हेल्थ पर 9.57 रुपया, एडुकेशन पर 21.70 रुपया और सोशल सिक्यूरिटी पर 5.81 रुपया खर्च करता है।

गुजरात हेल्थ पर 10.85 रुपया, एडुकेशन पर 27.78 रुपया और सोशल सिक्यूरिटी पर 5.4 रुपया।

उड़ीसा जो बहुत छोटा स्टेट है और हमारे राज्य से बहुत पीछे था वह हेल्थ पर 8.30 रुपया, एडुकेशन पर 21.50 रुपया और सोशल सिक्यूरिटी पर 0.55 रुपया खर्च करता है।

यू० पी० हेल्थ पर 6.29 रुपया, एडुकेशन पर 19.18 रुपया और सोशल सिक्यूरिटी पर 2.90 रुपया।

पश्चिम बंगाल हेल्थ पर 11.18 रुपया, एडुकेशन पर 23.70 रुपया और सोशल सिक्यूरिटी पर 5.38 रुपया खर्च करता है। इस तरह आप देखेंगे कि सोशल कामों में जिस तरह की प्रगति हमारे प्रदेश की होती उसमें वह पीछे है।

अब आप देखेंगे कि बैंक क्रेडिट डिपोजिट का रेशियो जो इन्भेस्टमेंट का है उसका आंकड़ा—बिहार 44, आंध्रा 69, कर्नाटक 99, राजस्थान 62, तमिलनाडू 119 और पश्चिम बंगाल 69। इस तरह हमारे यहाँ बैंक क्रेडिट डिपोजिट इन्भेस्टमेंट का रेशियो जो है उसमें हम सबसे पीछे हैं।

आप देखेंगे कि बैंक ओफ इन्डिया से जो सहायता मिलती है, एसीस्टेंस जो मिलता है इंडस्ट्रीयल डेभलपमेंट के लिए उसमें हमारा स्थान कहाँ है। गुजरात 88.20, महाराष्ट्र 62.8, कर्नाटक 47.19, यू० पी० 13.96, पश्चिम बंगाल 14.37 और बिहार में मात्र 6.29 रुपया है। इसलिए हमारे यहाँ सहायता, एसीस्टेंस की क्या हालत है वह आंकड़ों से मालूम है और वह सामने है।

उसी पृष्ठभूमि में आप देखेंगे कि सरकार पर कर्ज का बोझ रोज बढ़ता जा रहा है। आप जानते हैं कि 1974 के पहले का था 562 करोड़ और 1974 से 1978 तक बढ़कर 370 करोड़ हो गया है और मिसलेनियस बढ़ा है 200 करोड़, मंत्रिमंडल पर जो खर्च होता है वह 300 करोड़ बढ़कर हो गया है। 1950-51 तक सूद देना पड़ता था सिर्फ 14 लाख रुपया लेकिन 1982-83 तक वह बढ़कर 60 करोड़ रुपया हो गया है। उसके बाद जो रिपेमेंट होता था उसमें 70 लाख रुपया देना पड़ता था वह अब 130 लाख देना पड़ रहा है। हमारे प्रदेश को जो सेन्ट्रल एसिस्टेंस मिलता है वह मात्र 90 करोड़ रुपया।

टैक्स बर्डेन पर कैपिटा आज क्या है? बहुत सा टैक्स लगाया गया है उसमें आज सूबे की स्थिति क्या है? 1960-61 तक मात्र 6.72 रुपया टैक्स लगता था वहाँ 1975-76 में बढ़कर 33.04 रुपया हो गया है और वह 1982-83 में 40 रुपया से अधिक हो गया है। अब आगे टैक्स लगाना क्या है खून चूसना है।

क्राईम पोजिशन क्या है? 14 जुलाई, 1982 को लोकसभा में एक प्रश्न पूछा गया था कि हरिजनों में क्राईम पोजिशन 1980 से 1982 तक खासतौर से क्या संख्या है? होम मिनिस्ट्री की तरफ से जवाब दिया गया कि 31,500 क्राईम हरिजनों से किया गया है। यह ऑल इन्डिया का आंकड़ा है। फिर पूछा गया कि उसमें बिहार की क्या स्थिति है? होम मिनिस्ट्री ने बतलाया कि बिहार सेकेन्ड किया है। इस तरह लोकसभा में जो जवाब दिया गया है होम मिनिस्ट्री की तरफ से उस आंकड़े के अनुसार बिहार का पोजिशन दूसरा है।

अध्यक्ष महोदय, कृषि के बारे में काफी हमारे मित्र पहले सदन में बोले हैं, मैं आपलोगों का ध्यान कृषि के आवश्यक पहलूओं की ओर ले जाना चाहता हूँ। कृषि के लिए जो सबसे आवश्यक वस्तु है वह है फर्टिलाईजर जिस पर हमारे प्रदेश में प्रति एकड़ 14.8 किलो खर्च होता है, जबकि औसतन सारे देश में प्रति एकड़ 31 किलोग्राम है। इसके चलते हालत बहुत खराब है। इसका मुख्य कारण है कि हमारा आर्थिक दृष्टिकोण ठीक नहीं है। हमारा जो आर्थिक स्रोत है, उसके अनुसार ही खर्च करना चाहिए। उसी के अनुसार स्कीम बनाना चाहिए। हमारे मुख्य मंत्री अर्थशास्त्री हैं, लेकिन हमारी जितनी आमदनी है उसके अनुसार खर्च नहीं करते हैं, उससे अधिक खर्च करते हैं। सभी आइटम को आमदनी अनुसार ही देखना चाहिए। जिला स्तर पर, प्रखंड स्तर पर विकास के कार्य हों, बोर्ड और विश्वविद्यालय खुले, लेकिन सबों को अपनी स्रोत को देखते हुए ही करना चाहिए। कोई भी परिवार अगर अपने परिवार की आमदनी के अनुसार खर्च नहीं करता है तो उसकी हालत दयनीय हो जाती है। हम यह नहीं कहते हैं कि पौष्टिक भोजन नहीं खाया जाय, दूध नहीं खाया जाय, लेकिन आमदनी को देखते हुए ही परिवार का बजट हो तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। हमारे मुख्य मंत्री अर्थशास्त्री हैं जरूर, लेकिन इनका हिसाब-किताब बहुत ठीक नहीं होता है। इन्होंने 174 ऐसे कमिटमेंट किया है जिस पर 1 करोड़ से अधिक रुपए खर्च करने पड़ेंगे। इस पर बिना रोक-थाम के खर्च करेंगे तो ठीक नहीं होगा। इसके लिए स्टेज में छानबीन करने की जरुरत है। मेरा सुझाव है कि आप अर्थशास्त्री हैं, आपको प्राइओरिटी देकर ही काम को करना चाहिए।

अब मैं आंकड़ा देना नहीं चाहता हूँ कि किस तरह हमारे राज्य पर आर्थिक बोझ बढ़ गया है। हमारे यहाँ 15 सौ करोड़ का बोझ बढ़ गया है और उस पर सूद भी बढ़ता जा रहा है। इसलिए हम मुख्य मंत्री से निवेदन करेंगे कि आप आर्थिक अवस्था को देखें और आमदनी के अनुसार जो राजस्व है, उसके अनुसार ही आप खर्च करें और प्राथमिकता देकर आप खर्च करें नहीं तो जिस तरह आर्थिक स्थिति खराब होती जा रही है, उसे आप सम्भाल नहीं सकेंगे।

इन आंकड़ों के आधार पर मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि सातवां फाइनेंस कमीशन समाप्त हो गया है और आठवां फाइनेंस कमीशन अब बन गया है जिसके अध्यक्ष श्री वाई० भी० चौहान हैं। इस पृष्ठभूमि में हमारे प्रदेश की जो जन-संख्या है, हमारे यहां जो कच्चे माल तथा खनिज हैं जिससे सारा देश फायदा उठा रहा है लेकिन चाहे सोशल काम हो, आर्थिक या विकास का काम हो, कच्चे माल तथा

खनिज में हमारे प्रदेश का दूसरा स्थान है, इनसे सारे देश में सब तरह के कारखाने चल रहे हैं इस पृष्ठभूमि में जो सातवां कमीशन बना है उसके सामने हमारे प्रदेश की ओर से आंकड़े रखे जाने की या मजबूती से अपनी समस्याओं को रखने की कोशिश हो रही है कि नहीं यह मुझको मालूम नहीं है। सभी अखबारों को देखने से पता चलता है कि हर जगह की सरकारें इस दिशा में अपना कदम उठा रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं लेकिन हमको दुख है कि हमारे यहां पहले से तैयारी नहीं होती है। जब फाइनेंस कमीशन आने-आने को होता है तो जल्दी-जल्दी में कुछ आंकड़े गलत या सही कमीशन के सामने रखा जाता है। इसका फल होता है कि हमको कमीशन से जितना साधन मिलना चाहिए, नहीं मिलता है। मैं कहना चाहता हूँ कि यह एक पार्टी का सवाल नहीं है, दल से ऊपर उठकर फाइनेंस कमीशन के सामने हमारे जो सही-सही आंकड़े हैं उनको सोच समझकर मजबूती के साथ अपने तर्क को रखना चाहिए ताकि हमारी बात सुनी जाय और हमको पूरा साधन मिल सके। मुख्य मंत्री को मालूम है कि 1980 के प्रारम्भ में जनता पार्टी की सरकार थी और सातवें फाइनेंस कमीशन के सामने जनता पार्टी ने जिस तरह से तैयारी करके अपनी बातों को मजबूती के साथ कमीशन के सामने रखा था आज आपको उसी का फल मिला है। मैं कहना चाहता हूँ कि आज आप उसी तरह से आगे के लिए तैयारी नहीं करेंगे तो हम पीछे रह जायेंगे हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। हमारे मित्रों ने कई विषयों की चर्चा की है मैं शिक्षा के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। शिक्षा के बारे में कई बार नीतियां बदलीं और आप जानते हैं कि हमारे संविधान में यह प्रावधान किया गया है कि चौदह वर्ष तक के बालक या बालिकाओं को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा देने का प्रबंध राज्य सरकार को करना है। मुझको दुख है कि आजादी के 35 वर्ष के बाद भी इस दिशा में सही कदम नहीं उठाया गया है। आपने शिक्षा पर बहुत रुपया बढ़ा दिया है लेकिन इसको कारगर करने के लिए जिस रूप में प्रयास होना चाहिए वह नहीं हुआ है। इसका मूल कारण है कि आपने शिक्षकों का नीचे से लेकर ऊपर तक वेतन बढ़ा दिया, यह खुशी की बात है कि उनका वेतन बढ़ा दिया है लेकिन मुझको दुख है कि जिस ढंग से संविधान के मुताबिक निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा का प्रसार होना चाहिए था उसको आपने नजर अंदाज कर दिया है, इसके विकास के लिए उचित ध्यान नहीं दिया गया है। आपने शिक्षा पर 788 करोड़ रुपया खर्च किया है लेकिन उसकी क्या उपलब्धि हुई है उसको क्या आपने कभी देखा है, मैं कहता हूँ कि इससे कोई फायदा नहीं हुआ है। अगर इस रुपए से आप निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा को सूबे में लागू करते तो बहुत लाभ होता। हमारे यहां 500 ब्लाक हैं। अगर आप

हर साल 100 ब्लाक चुन लेते तो 5 वर्षों में पूरे प्रदेश में निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा हो जाता। अगर आप किए होते तो मैं समझता हूं कि गरीबों को सबसे ज्यादा फायदा होता।

मैं इस बात को इसलिए मानता हूं कि संविधान के निर्माताओं ने बहुत सोच-समझ कर इस प्रावधान को किया था। उसका मूल कारण यह है कि जो हमारा सामाजिक संगठन है उसमें हमारे राष्ट्र की प्रगति होनी चाहिए। हमारे राष्ट्र की प्रगति हो रही है लेकिन आजादी के इतने वर्षों के बीतने के बाद भी हमारी आजादी के 10-12 प्रतिशत लोग सारे प्रशासन तंत्र पर कब्जा किए हुए है। उसका मूल कारण क्या है? असेम्बली बदल सकती है, मिनिस्ट्री बदल सकती है, वोट के जोर पर कोई बदल सकता है लेकिन जबतक हमारे गरीबों का, हमारे ग्रामीणों का, गांव में रहने वाले लोगों का जबतक प्रशासन पर कब्जा नहीं होगा, शासक यंत्र पर कब्जा नहीं होगा, उनके बाल-बच्चे आई० पी० एस०, आई० ए० एस० नहीं होंगे, प्रशासन के तमाम ऊचे पदों पर नहीं जायेंगे तबतक न सामाजिक न्याय हो सकता है, न आर्थिक अवस्था में सुधार ही हो सकता है और न प्रशासनिक न्याय मिल सकता है। आज उसी का नतीजा है कि हम और आप लाख चिल्लाते रहें, कहते रहें लेकिन आज मुट्ठी भर लोग सारे चीजों पर कब्जा किए हुए हैं इसलिए कम से कम हमको और आपको इस देश में ऐसी परिस्थिति पैदा करनी होगी, उनको विशेष अवसर देकर आपको तैयार करनी होगी, एक दो साल में नहीं, 14-15 साल में कड़ी परीक्षा और तपस्या की जरूरत है। इसके लिए विद्यालयों की जरुरत है। ऐसे ही कामों के लिए हर जगह काम करने की जरुरत है। एक तरफ परिवार का परिवार प्रशासन में रहे और एक तरफ परिवार का परिवार, गिरोह का गिरोह हरवाहा और चरवाहा रह जाय तो ऐसे समाज की कल्पना हमने नहीं की थी, गांधीजी ने या कांग्रेस पार्टी ने नहीं की थी इसलिए सारे बच्चों को विशेष कर गरीबों के बच्चों को, चाहे वे हरिजन हों, आदिवासी हों, बैकवर्ड क्लास के हों, चाहे वह किसी क्लास का गरीब हो उनको जबतक इन तमाम दिशाओं में आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं करेंगे तबतक हमारा काम आगे बढ़ने वाला नहीं है। स्पीकर साहेब ने लाल बत्ती जला दी है इसलिए एक ही बात कह कर मैं समाप्त करूंगा कि मुख्य मंत्री जो आपको मुख्य मंत्री बनने का मौका एक बार नहीं दो-तीन बार मिल चुका है और बराबर प्रशासन में रहे तो आने वाली पीढ़ी आप से यह नहीं कहेगी कि आप मुख्य मंत्री कितने दिनों तक रहे, प्रशासन में कितने दिनों तक रहे, मुख्य रूप से हम और आप उस कटघरे

में खड़े होंगे, आनेवाली भावी संतान के कि आपने और आपके नेतृत्व में आपकी पार्टी ने, इस सदन ने और इस प्रशासन ने, हम सब ने मिलजुल कर इस सूबे को उठाने में, इस सूबे को आगे बढ़ाने में चाहे वह आर्थिक क्षेत्र हो, चाहे प्रशासनिक क्षेत्र हो हम कहां तक आगे बढ़ सके हैं। इसलिए इन तमाम पहलुओं पर गम्भीरता से विचार करने की जरुरत है। मैं समझता हूं इसलिए मैं नम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि न तो आर्थिक क्षेत्र में, न सामाजिक क्षेत्र में और न तो प्रशासनिक क्षेत्र में हमारा सूबा आगे बढ़ रहा है बल्कि उसके पीछे बढ़ रहा है। आज तमाम जगहों में जिस तरह की हालत पैदा हो गयी है उससे इस सूबे में मालूम पड़ता है कि बिल्कुल पुलिस का प्रशासन है। किसकी इज्जत कब लूट जायेगा कहना मुश्किल है। ऐसे समय में आज आपको विशेष जिम्मेवारी है। इसलिए मैं आप से अपील करना चाहता हूं, आपके हृदय को छूकर कहना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी से कहना चाहता हू कि हम सब एक सूबे के रहने वाले लोग हैं, यह सूबा आगे बढ़ेगा तो हम सब लोग आगे बढ़ेंगे, सबकी इज्जत बचेगी, हम सब एक साथ इज्जत बढ़ा सकेंगे लेकिन ऐसे समय में जहां तमाम लोगों की इज्जत पर खतरा आ जाय और कोई नहीं समझ सकता है कि इस राज्य में कब अनुचित हो जायेगा, कहना मुश्किल है क्योंकि आज जिस तरह से गरीबों के साथ चाहे वे शहर के रहने वाले हों या देहाती क्षेत्र के रहने वाले हों जिस तरह का अन्याय हो रहा है उससे हम और आप अच्छी तरह परिचित हैं इसलिए आप से अपील करेंगे कि इन चीजों पर गम्भीरता पूर्वक विचार करना चाहिए और यह प्रदेश की जिम्मेवारी है। हम उससे अलग नहीं होंगे लेकिन इसपर विशेष रूप से जिम्मेवारी पावर की है, मुख्य मंत्री की है क्योंकि वे हम ही लोगों में से एक हैं इसलिए विशेष रूप से आप सबों से आग्रह करना चाहता हूं। मैंने प्रारम्भ में ही अपने भाषण में कहा कि मेरे भाषण का अंश कोई राजनीतिक नहीं कोई और पहलू का नहीं बल्कि जो आंकड़े सामने आते हैं, जो बजट के आंकड़े बतलाते हैं वह सब हमलाग जान ही रहे हैं कि अभी आर्थिक व्यवस्था कितनी खराब है, उन्हीं सब बातों को हमने आपके सामने में रखा है।

श्री शत्रुघ्न शरण सिंह—अध्यक्ष महोदय, जब से विधान-सभा का इस बार सदस्य हुआ हूं, यह पहला अवसर है कि बजट पर बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। मैं तो बोलता नहीं, लेकिन लाचार होकर कुछ बोलना पड़ रहा है। मुख्य मंत्री जो नौजवान हैं। वे दो वर्ष पहले भी हमलोगों के मुख्य मंत्री रहे हैं और इस बार भी उनके नेतृत्व में हमलोग चल रहे हैं। मुख्य मंत्री ने जो बजट पेश किया है उसका मैं समर्थन करता हूं। गरीबी मिटाने का बजट तो है। लेकिन इनके कमंडल में गंगा तो भरी है,

किन्तु ब्युरोक्रैट्स् की जाल में फंसी हुई है। एक बुन्द भी गंगा का जल निकल सकेगा और गरीबी के मुंह में जा सकेगा इस ब्युरोक्रेट को देखते हुए मुझे शक हो रहा है। मुख्य मंत्री जो भगीरथ परिश्रम करने वाले हैं। विष्णु के अवतार हैं। इस समय भीष्मपितामह की जरुरत नहीं है। यह आप ही पर निर्भर करता है कि अपने भगीरथ प्रयास से गगा का एक भी बुन्द गरीबों की प्यास को बुझा सके। जो गरीब हैं, वे कराह रहे हैं। सरकार की ओर से 8.50 रुपये मिनिमम वेज तय किया गया है। लेकिन उतनी राशि किसी को नहीं मिलती है। एन० आर० ई० पी० के जरिए से जो पैसा ब्लॉक में जाता है वह ठीकेदार सरकार के नाम से लूटते हैं। कुछ ऐसे एजेन्ट हैं जो सरकारी कर्मचारी के नाम पर पैसा लेकर काम करवाते हैं। सरकारी कर्मचारी को काम करना है। लेकिन बीच में कार्यकर्ता, समाज-सेवी या मुखिया लोग रहते हैं। सरकारी कर्मचारी नाम के हैं। बी० डी० ओ० के हुक्म से ठीकेदार को पैसा दिया जाता है और वह ठीक से काम नहीं करता है। 8.50 रुपये की जगह पर मजदूर को 6 रुपये, 7 रुपये मिलते हैं। गांवों में गरीबी मिटाने की बात है। मिनिमम वेज नहीं मिलेगा तो गरीबों का क्या होगा। मैं सरकार से अनुरोध करुंगा कि आप इस पर ध्यान दें। मुख्य मंत्री और मंत्रीगण हर जिले में दौरे पर जाते हैं। लेकिन जितनी बेचैनी इस राज्य को मंत्री के लिए है, मुख्य मंत्री को है उतनी बेचैनी सबों को है। आप अफसरों को सचिवालय में बुलाकर विचार विमर्श करें और विधान सभा के जितने 324 सदस्य हैं उनसे राय लें, सहयोग लें और पूछें कि ब्लोक में काम क्या हो रहा है ? गरीबी मिटाने की बात कर रहे हैं लेकिन सभी सदस्य बोल रहे हैं कि गरीबी मिटाने का काम सिर्फ कागज पर है। मेरा ब्लोक टेकारी रोजगार गारन्टी योजना में है। करीब 24 लाख रुपया दिया गया है। कई बार मैंने कहा कि इसकी जांच की जाय, लेकिन कुछ नहीं हुआ। इस उम्र मे मैं इस दफ्तर से उस दफ्तर में पैरवी के लिए जाऊं, यह मेरे लिए सम्भव नहीं है। एक बार शुरू में कलक्टर के पास लिखा। कलक्टर ने बी० डी० ओ० के पास भेज दिया उसी तरह जिस तरह ब्रिटिश रिजिम में होता था। कहावत है कि पार्लियामेन्ट में एक सवाल उठा कि देश में कितने ताड़ के पेड़ हैं तो वहां से चला और नीचे आते आते गवर्नर के यहां गया, गवर्नर से कलेक्टर के यहां गया और फिर नीचे चौकीदार के यहां चला गया और जवाब भेज दिया गया कि इतना अरब खरब ताड़ के पेड़ हैं। आज भी जांच का वही रवैया है। मुख्य मंत्री को कोई दरखास्त दीजिए, वे उस पर जांच का आदेश देते हैं। फिर वह नीचे चला आता है और वह नीचे बांधकर रख दिया जाता है। यह मैं अपनी बात कह रहा हूं। मुख्य मंत्री जी मुझको बहुत मानते हैं, अपना गार्जियन समझते हैं। लेकिन मैं कहना चाहता

हूं कि अपने व्यूरोक्रैट्स को वे सम्भालें और नहीं तो कुछ नहीं होने वाला है। कानून और व्यवस्था के सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि औरंगाबाद और गया जिला के बौर्डर पर परैया के गांव में अभी एक घटना घटी जिसमें 5 आदमियों के सिर काट डाले गये हैं, मैं खास करके श्री कर्पूरी ठाकुर से आरोप करूंगा कि उनको वहां जाना चाहिए था।

श्री कर्पूरी ठाकुर—कहां की बात आप कह रहे हैं ?

श्री शत्रुघ्न शरण सिंह—मेरे ख्याल से वहां निरीह लोगों को कत्लेआम किया गया है कि श्री जगदीश शर्मा, स० वि० स० ने जो इसके बारे में बयान दिया है उसको देखिए और उस पर कार्रवाई कीजिए। गया जिला के कोच, गुरारू, परैया और औरंगाबाद जिले के रफीगंज आदि जगहों में कोई विधि-व्यवस्था नहीं रह गयी है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि यदि आप विधि-व्यवस्था को नहीं कायम कीजिएगा तो आग भड़केगी और बिहार प्रान्त की कानून-व्यवस्था बिखर जायेगी। आज गरीबी मिटाने का काम नहीं हो रहा है। पटना में अभी जो घटना घटी उसके बारे में कहना चाहता हूं कि स्काटलैन्ड की पुलिस के बारे में सुना और पढ़ा। सी० आई० डी० का नाम सुना। बड़े-बड़े बैंक लूटने का नाम सुना। मर्डरर के पता लगाने का काम हुआ। लेकिन वह गोपनीय रहता था। आज क्या हो रहा है। पुलिस जांच करते हैं और अधिकारी रोज प्रेस कांफ्रेन्स करते हैं तो इससे क्या होगा ? इससे कानून-व्यवस्था ठीक हो सकेगी ? मैं समझता हूं कि मुख्य मंत्री पुलिस अधिकारियों को मलमल पहनने और धोती पहनने के शौक को रोकें। इसके लिए अपोजीशन के लोग हैं।

अध्यक्ष—अब आप 2 बजे के बाद बोलिएगा।　　(अन्तराल)

(इस अवसर पर उपाध्यक्ष ने आसन ग्रहण किया।)

श्री शत्रुघ्न शरण सिंह—उपाध्यक्ष महोदय, अभी थोड़ी देर पहले मैं कानून व्यवस्था के बारे में कह रहा था खासकर पटना के बारे में। मुझे दुःख है कि हमलोग जितने विधान सभा के सदस्य हैं सब इस पर चुप हैं। श्वेत निशा कांड में अगर कोई क्राइम किया है तो इसकी इन्क्वायरी किसी अफसर को तो दी नहीं गयी तो फिर इतना हंगामा क्यों किया जा रहा है। हर बात में प्रेस कांफ्रेंस अफसरों द्वारा यह तो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। मैं इस सदन का बहुत पुराना सदस्य हूं। पिछले तीन वर्ष तक मैं इस सदन का सदस्य नहीं था लेकिन जो आज वर्तमान अध्यक्ष हैं वे उस समय उपाध्यक्ष थे और त्रिपुरारी बाबू अध्यक्ष थे। विधान सभा के सदस्य नहीं होने पर भी मैं इन दोनों व्यक्तियों के यहां बराबर जाया करता था लेकिन दोनों में से किसी के यहां कभी भी

अन्य व्यक्ति को नहीं देखता था। लेकिन आज बहुत से विधान सभा के सदस्यों और सरकारी अधिकारियों के प्रतिष्ठा के बारे में रोज महीने से छप रहा है कि किसने उसकी हत्या की, कौन-कौन अधिकारियों तथा सदस्यों से उसका सम्बन्ध था। यह सवाल नहीं था। समस्या यह थी कि क्राइम को कौन छिपाता है उसी का गिरफ्तार करना चाहिए था। जिस दिन हत्या हुई उसी दिन गिरफ्तारी होनी चाहिए थी लेकिन वह नहीं किया गया और रोज अखबारबाजी होने लगी। पन्द्रह-बीस दिन तक तो अखबारों में कुछ दूसरा ही निकलता था और उसके बाद बयान होते हैं। कानून व्यवस्था को ठीक करने के लिए पुलिस को सख्ती से चलना चाहिए लेकिन इस तरह अखबारबाजी करना उचित नहीं कहा जा सकता है। गया और औरंगाबाद जिले के सीमा से ही हमारे माननीय श्री विजय कुमार सिंह आते हैं। वहाँ कानून व्यवस्था बड़ी ही बिगड़ी हुई है। उनसे और मुख्य मंत्री से तथा वर्तमान सरकार से जिसमें दो मंत्री हमारे जिले के हैं उसमें एक का तो वहाँ घर भी है, से अनुरोध है, कि गया जिले के दस बारह ब्लौक को चुन लें और वहाँ विधि व्यवस्था को ठीक करने के लिए काफी सतर्कता दिखावें। गुरारू में एक एडिशनल एस० पी० रखा जाय। मुख्य मंत्री पर तो सारा भार है ही, रामाश्रय बाबू अपने जिले का भी कुछ भार लें। इसके अलावा वहाँ शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए मैं, कर्पूरी जी, रामलखन बाबू जैसे पुराने सदस्य वहाँ चलें और गाँव-गाँव घूमकर लोगों को समझा बुझाकर शांति व्यवस्था कायम करने में सहयोग करने की प्रयत्न करें जिस तरह से बिहार विभूति जय प्रकाश बाबू ने जब मुशहरी में इसी तरह से अशांति व्यवस्था फैल गयी तो किया था। ऐसा नहीं किया गया तो हिंसा फैलेगी। इसलिए हम, रामलखन बाबू, कर्पूरी ठाकुर जी, एक-दो और नौजवान सदस्य, झारखंड मुक्ति मोर्चा के माननीय सदस्य श्री सूरज मंडल बैठे हुए हैं—हमलोग चलें और वहाँ शहीद हो जायं, अगर आप (सूरज मंडल जी) डरते हैं तो हम, रामलखन बाबू और कर्पूरी ठाकुर जी ही जाते हैं—इसलिए हमारे समझ से कानून-व्यवस्था के लिए एक एडिशनल एस० पी० गुरारू में रखा जाय।

उपाध्यक्ष—अब आप समाप्त करें।

श्री शत्रुघ्न शरण सिंह—3 वर्ष के बाद हम मुंह खोले हैं, हम मजबूरी में बोल रहे हैं, इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि शांति व्यवस्था के लिए हमलोग चलें, सरकार से भी अनुरोध करूंगा, हमारे मुख्य मंत्री के प्रतिनिधि श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह बैठे हुए हैं यहाँ। आपके जरिये कहना चाहता हूँ कि उन 10 ब्लौक को यूनिट बनाकर पुलिस की व्यवस्था करें और कांग्रेस संगठन और विरोधी दल के लोग मिलकर कुछ रास्ता निकालें। पांच गरीब जो मारा गया, जो नादान मारा गया। आज जो डूब कर मरता है, मोटर से

छिपा कर मरता है उनके परिवार को 10-20 हजार रुपए सरकार की ओर से दी जाती है, इसलिए मैं सरकार से कहना चाहता हूँ। सरकार इनके परिवारों को भी मदद करे।

आगे मैं शिक्षा विभाग के बारे में कहना चाहता हूं। कि गया के शिक्षा अधीक्षक के खिलाफ में कहना चाहता हूं। 2 करोड़ 38 लाख रुपए का गबन का मामला हमने शिक्षा मंत्री को दिया 1981 में और उन्होंने इनक्वायरी करने का आदेश दिया। इसके बाद मैंने मुख्य मंत्री को लिख कर दिया, उन्होंने निगरानी विभाग को आदेश दिया, फिर 1982 में सितम्बर माह में मुख्य मंत्री को लिखकर दिया और उन्होंने लिख कर आर्डर किया फिर 1983 में फोटो-स्टेट कापी के साथ दिया और उस पर उन्होंने आदेश दिया, यह निगरानी विभाग में चला गया या कहीं चला गया, पता नहीं चलता है। मैं तो अनुरोध करूंगा शिक्षा मंत्री को कि इस सम्बन्ध में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाऊँगा, वैसे कभी मैंने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाया नहीं हूं, लेकिन इस बार लाऊंगा। मैं कहना चाहता हूं रांची, चम्पारण आदि कई जगहों में जैसे पी० डब्लू० डी० में कार्य और अकार्य है, उसी तरह शिक्षा विभाग में भी कार्य और अकार्य है। शिक्षा विभाग के क्लास टू ऑफिसरों को अधीक्षक बनने में नाजायज खर्च क्या करना पड़ता है, यह मैं नहीं जानता हूं। शिक्षा विभाग में शिक्षा एस० डी० ओ० का पद अकार्य है और अधीक्षक का पद कार्य है। मैंने गया के शिक्षा अधीक्षक के बारे में लिखा था, केस भी हुआ जो केस हुआ उसको देखकर ताज्जुब हुआ कि इसमें स्टे हुआ है, लेकिन मुख्य मंत्री के यहाँ जो पत्र लिखा गया था लास्ट पेज का शिक्षा विभाग ने फोटो-स्टेट ले लिया है, सेकेन्ड पेज में कुछ लिखकर मुझे भी मुदालय बनाया गया है। हमने कुछ नहीं किया, लेकिन मुदालय होकर अब हाई कोर्ट में जाना पड़ेगा। मुख्य मंत्री ने जो आर्डिनेन्स इशू किया है, हमने पढ़ा नहीं है, हमने पैरवी नहीं किया, अब हाईकोर्ट जाना पड़ेगा, आप सोचिये। मैं मुख्य मंत्री को कहूँगा कि अर्थ-व्यवस्था को चेक करने के लिए उन्होंने पिछले मार्च महीने में कड़ाई की जिसके कारण पेमेंट नहीं हुआ। मैं उनसे अनुरोध करूंगा चूंकि कानून व्यवस्था के भी वे मंत्री हैं और अर्थ के भी मंत्री हैं आप इस बिहार के खजाने पर गोहुमण सांप बनकर बैठें और जिनको हक नहीं हो अगर नाजायज व्यक्ति बिहार के खजाना को छुए तो उन्हें आप डस लीजिए चाहे जनता का प्रतिनिधि हो, चाहे सरकारी नौकर हो, वह तुरत मर जाय, आप ऐसा काम कीजिए। पुराने राजाओं के जमाने में सुनते थे कि खजाने पर सांप बैठा करता था, दूसरा कोई जाता था तो वह उसे काट लेता था। मैं मुख्य मंत्री को बतलाना चाहता हूँ कि पिछली बार वित्त विभाग में बहुत गंभीर बेमानी हुई है और बहुत नाजायज काम किया गया है, रुपए ले लेकर बिल तो ठीकेदारों के पास कर दिए गए लेकिन बहुत से लोग शादी या अन्य दूसरे जरुरतों के लिए

पैसे की आवश्यकता थी, उन्हें नहीं दिया गया और कहा गया कि ऐसा आदेश है कड़ाई करने का। इस तरह का अन्याय गया जिला में पी० डब्लू० डी० भवन निर्माण में हुआ। वहां के एक्जीक्यूटिव इन्जीनियर ने 40 लाख रुपए का भुगतान किया। मैं भी पहले डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का चेयरमैन रह चुका हूं। 5-10 परसेन्ट इन्जीनियर और ओभरसीयर लोग लेते थे लेकिन आजकल 60 से 80 परसेन्ट तक लिया जाता है क्योंकि कोई काम ही नहीं होता है। 16 आना पी० डब्लू० डी० में नाजायज होता है इसलिए मेरा अनुरोध है अब केवल 2 वर्ष का समय कुछ बच जाता है, आप कड़ाई के साथ सारे काम करें जिससे कि इन्दिरा गांधी ने जो संदेश दिया है उसे पूरा किया जा सके। आज श्रीमती गांधी बहुत मेहनत करके, बाहर के मुल्कों से रुपया लेकर बिहार सरकार और हिन्दुस्तान के दूसरे राज्यों को दे रही है, आप जैसा नौजवान जो अर्थशास्त्र के विद्वान हैं जो बिहार की गद्दी को चला रहा है, कड़ाई से कारंवाई कीजिएगा तो ब्यूरोक्रेट लोग हैं उनपर अंकुश लगाये ताकि जो पैसा गरीबों के लिए है वह गरीबों को, वाजिब व्यक्तियों को मिल जाय, यही मेरा आपसे अनुरोध है।

श्रीमती रमणिका गुप्ता—उपाध्यक्ष महोदय, मैं बजट पर भाषण देते हुए अपना विरोध प्रकट करते हुए आप के सामने कुछ मुद्दे रखना चाहती हूं। सबसे पहले मैं सरकार का ध्यान इस बात पर दिलाना चाहूंगी कि हजारीबाग जिला में एम०एल०ए० योजना के अन्तर्गत 1982-83 में जो भी पैसे थे वे अफसरों के कोताही के कारण लैप्स कर गये। योजनाएं बनायी गयीं उसका प्राक्कलन भी तैयार किया गया लेकिन अफसरों की कोताही के कारण एक भी योजना एम०एल०ए० कोटा की नहीं बनायी जा सकी हजारीबाग जिला में। दूसरी तरफ राहत की बात करते हैं लेकिन हजारीबाग जिला के लिये आपकी जो 20-सूत्री कमिटी है उसी को राहत समिति बना दी गयी है और उस कमिटी में विरोधी पक्ष के एक सदस्य को छोड़कर किसी भी विधायक को नहीं रखा गया है। इस तरह से आपने समिति में एक को छोड़कर किसी भी विरोधी पक्ष के सदस्य को नहीं रखा जिस कारण विरोधी पक्ष के सदस्य अपने क्षेत्रों की बात नहीं रख सकेंगे। अब मैं सरकार का ध्यान श्रम विभाग की तरफ ले जाना चाहूंगी। श्रम मन्त्री कहते हैं कि हमने बड़ी-बड़ी चीजें हासिल की है लेकिन बोकारो थर्मल प्लांट में 105 मजदूरों की छंटनी की नोटिस दे दी गयी है और कलकत्ता से डी०भी०सी० कम्पनी ठीकेदारों को लाकर, कलकत्ता से मजदूरों को लाकर वहां के लोकल लोगों को छटनी करने जा रही है, वहां के लोकल लीडर श्री ज्ञानेश्वर यादव ने जब इसका विरोध किया तो किया तो उनपर वारेन्ट इशू हो गया है। वहां के लोगों की जमीन चली जा रही है, लोग जमीन के बदले नौकरी मांग रहे हैं। गोविन्दपुर

प्रोजेक्ट में सी०सी०एल० ने जमीन ले ली है, जब नौकरी की बात की गयी तो इन्द्रनाथ महतो और श्री ज्ञानेश्वर यादव पर वारेन्ट इशू हो गया, 12 आदमी भागे हुए हैं चूंकि नौकरी की बात कर रहे थे। गोमा में गोली चली क्यों? चार आदमी को उल्टा लटका कर मारा गया, वे चार आदमी नौकरी की मांग कर रहे थे, वहां का दारोगा उन्हें कोड़ा से मारता था, पुलिस वाले बोलते थे कि बोलो नौकरी मांगोगे, कोड़े की मार पड़ती थी और उनकी जान ले ली गयी। इस सरकार ने 302 का मुकदमा उस दारोगा के विरुद्ध में चलाया। न उसे ससपेन्ड किया गया और न उसका ट्रांसफर ही किया गया। इस तरह की दो तरफा नीति चलायी जा रही है। सरकार की हिंसा की बात यहां पर आती है। क्या सरकार की हिंसा जायज है? जब जनता अपने हाथ में हुकूमत लेती है तो सारे सदन को चिन्ता होती है, सरकार को चिन्ता होती है, जनता अपने हाथ में कानून क्यों लेती है? मैं पूछना चाहती हूं कि पुलिस का वरदी में बैठा हुआ दारोगा घाटी के देहात में बलात्कार करता है, जनता उसका विरोध करती है तो उसका कुछ नहीं होता है लेकिन जिसके साथ बलात्कार किया गया उसका बाप जेल में चला गया, जिसके साथ दुर्घटना हुई वही लोग जेल में चले गये और बलात्कार करने वाले पर कोई कारंवाई नहीं हुई। उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं मजदूरी की बात करती हूं। जंगल विभाग में 4 रु०, 5 रु० और 6 रु० मजदूरों को मजदूरी दी जाती है। औरतों को 4 रु० मजदूरी और मर्दों को 5 रु० मजदूरी दी जाती है गोला प्रखण्ड में।

उपाध्यक्ष महोदय, विधि व्यवस्था की बात सरकार करती है छोटी-छोटी बातों का बतंगड़ उठता है, मैं दोनों तरफ के सदस्यों से कहना चाहूंगी कि एक औरत की हत्या पटना में हो गयी और आप लोग बोले नहीं, चुप रहे, बोले भी तो बहुत कम बोले। उस औरत की हत्या हुई जिसका नाम श्वेता निशा था। जिस औरत की जान ली गयी, जिसकी हत्या की गयी, जिसने हत्या की उन लोगों पर जिम्मेवारी देनी चाहिये, उसे सजा मिलनी चाहिये, राजनीतिज्ञ भ्रम में नहीं जायं, कितने बेवा की जान, कितने लड़कियों की हत्या इसी तरह से कर दी जाती है। यह एक किसी औरत का मामला नहीं, समाज की कुव्यवस्था का यह मामला है कि किस तरह से औरतों के साथ बुरा सलूक किया जा रहा है और समाज चुप रहता है। सरकार कहती है कि यह मामला सी० बी० आई० को दे दिया गया है, किसी को पकड़ने के लिये सरकार तैयार नहीं है। छोटी-मोटी बात होती है तो सब लोग पकड़े जाते हैं तो यह दो तरह की नीति क्यों? इस तरह का डिस्क्रीमिनेशन क्यों? आम आदमी के लिये दूसरा कानून और

बड़े लोगों के लिये दूसरा कानून, मन्त्री के लिये दूसरा कानून। मन्त्री के छपे हुए उसके साथ फोटो हैं, देख लीजिये लोगों के पास है, लेकिन मन्त्री निकल गये, विधायक निकल गये। यह औरत का मामला है इसे गम्भीर तौर पर लेना चाहिये। कुछ बात कह कर मैं अपनी बात समाप्त करना चाहूंगी। बड़े जोर-जोर से लोग भाषण दे रहे थे 6 इंच छोटा करने की बात है लेकिन मैं कहना चाहूंगी कि जहां के भी लोग हमारे नेता कर्पूरी जी के पास आये, कर्पूरी जी वहां गये।

जितनी भी शिकायत इनके पास पहुंची है, ये गये हैं। आज आप कमिटी की बात करते हैं, 6 इन्च छोटा करने की बात करते हैं। इसके लिए कानून बना हुआ है। मैं आपसे जानना चाहती हूं कि आखिर 6 इन्च छोटा क्यों किया जाता है। होता इसलिए है कि आप आदिवासी, हरिजन और कमजोर लोगों पर गोली चलाते हैं, मारते हैं और आपका अदालत उनको न्याय नहीं देता है, वे पानी मांगते हैं तो आप नहीं देते हैं, बिजली मांगते हैं तो नहीं देते हैं। कोनार डेम से बिजली उत्पन्न होता है, फिर भी आप उसके बगल के गांव को न पानी देते हैं और न बिजली। वहां के स्थानीय लोगों को आप नौकरी भी नहीं देते हैं। सरकार कानून की बात तो करती है, लेकिन उसका पालन स्वयं नहीं करती है। छः इन्च छोटा करने वाले वही लोग हैं जिनको आप सदियों से पीस रहे हैं।

श्री महेन्द्र नारायण झा—यह बात तो आप कहती नहीं हैं कि छः इन्च छोटा ऊपर से या नीचे से।

श्रीमती रमणिका गुप्ता—मैं हिंसा में विश्वास नहीं करती हूं। जहां तक छोटा करने का सवाल है, वह ऊपर या नीचे दोनों तरफ से हो सकता है। मैं जानना चाहती हूं कि क्या सरकारी हिंसा करना जायज है। सरकार गरीब लोगों पर गोली चलाती है। आप अन्दर की बात यहां नहीं बोलते हैं, बल्कि बाहर से बोलते हैं।

उपाध्यक्ष—अब आपका समय समाप्त हो गया, बैठ जायं।

(इस अवसर पर उपाध्यक्ष महोदय ने श्री अर्जुन विक्रम शाह को पुकारा)

श्री अर्जुन विक्रम शाह—उपाध्यक्ष महोदय, अभी सदन में जो बजट प्रस्तुत है, उसके समर्थन में मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। इस बहस में इस पक्ष के और उस पक्ष के बहुत से माननीय सदस्यों ने बहस में भाग लिया है। बहुत से अच्छे सुझाव भी दोनों ओर से आये हैं। लेकिन प्रजातंत्र में, इस संसदीय प्रणाली में कुछ बुनियादी बातें भी हैं। लेकिन लोगों ने इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया है। प्रजातंत्र में जितनी जिम्मेवारी रूलिंग पार्टी की होती है, उतना ही विरोधी पक्ष का भी। लेकिन बहस

के दौरान मुझे यह सुनने को नहीं मिला कि जो काम सरकार अच्छा करती है, उसकी प्रशंसा की गई हो। सरकार अगर कोई काम गलत करती है तो आप उसकी आलोचना कर सकते हैं लेकिन जो अच्छा काम किया है, उसके लिये आपको प्रशंसा भी करनी चाहिए। हमारे बजट में 20 सूत्री प्रोग्राम भी है। 20 सूत्री प्रोग्राम के बारे में मैं विरोधी पक्ष के सदस्यों से जानना चाहता हूं कि इसका लक्ष्य क्या है। इसका जो लक्ष्य है और इसमें जो दिशा देने की बात है, उसमें हमलोग कहां तक पहुंचे हैं।

अपने बजट में 20 सूत्री के बारे में भी लक्ष्य हमने बनाया है कि इतने नीचे तबके के लोगों को चाहे वे बूढ़े हों, युवा हों, लंगड़े हों, अंधे हों, गरीब से गरीब हों, चाहे वे हरिजन-आदिवासी हों, चाहे बेरोजगार तथा मजदूर हों, उन सभी के लिए इस बीस-सूत्री में जगह है। यह बात हो सकती है कि इसके बावजूद इसके कार्यान्वयन में कोई दिक्कत हो तो इसके बारे में आपका सुझाव होना चाहिए और यदि कोई त्रुटि हो तो उसके समाधान के बारे में आपको कहना चाहिए। लेकिन इसके संबंध में विरोधी पक्ष के माननीय सदस्यों से यह कभी नहीं सुना। इसके निदान के लिए उनलोगों ने कभी कोई सुझाव नहीं दिया। अगर हमने कोई अच्छी दिशा देने की कोशिश की है तो उसके बारे में भी उनको कहना चाहिए। अभी इस सदन के बहुत पुराने एवं योग्य माननीय सदस्य श्री रामलखन बाबू ने चर्चा की कि इस बजट में उतना ही काम करना चाहिए जितनी हमारी पूंजी हो। इस सदन के बहुत सारे माननीय सदस्य जानकारी रखते हैं कि विकासशील देश के लिए बजट में डेफिसिट फाइनेन्सिंग कैसे आयगी। डेफिसिट फाइनेन्सिंग होना ही नहीं चाहिए। लेकिन आज हम देखते हैं कि जितने भी विकसित देश हैं वहां जितनी आमदनी है उनसे ज्यादा खर्च करने की योजना हम बनाते हैं। जिस सिस्टम से हम गुजर रहे हैं, हमारे राज्य में जो डेमोक्रेसी है उसको चाहिये कि कम्पनी-बिजनेस की तरीकों के अनुसार चलना चाहिए। हमारी जितनी आमदनी है उसके अनुसार ही खर्च होनी चाहिए। यह बात हम जरूर चाहेंगे कि हमारे स्टेट पर ज्यादा कर्ज का बोझ नहीं बढ़, गरीबों पर कर्ज का ज्यादा बोझ नहीं पड़े। लेकिन जिस माहौल में हम हैं उसके अनुसार तो हमको ऐसा करना ही है। विकास की गति को तेज करने के लिए बहुत सारे जगहों को जिला या अनुमंडल बनाया गया है। हमारे यहां पश्चिम चम्पारण में 16 अंचल हैं और उसमें केवल दो अनुमंडल हैं, एक बेतिया और दूसरा बगहा। बेतिया में 10 अंचल हैं और बगहा में 6 अंचल हैं। कितना यह इमबैलेंस है, इसको आप देखें। युवा ऑर्गनाइजेशन कमिटी के सदस्य, श्री चन्द्रशेखर सिंह, श्री एल० पी० शाही तथा स्वर्गीय दारोगा राय थे जिन्होंने एक

मत से कहा था कि रामनगर को अनुमंडल जनहित में बनाया जाय। भौगोलिक दृष्टि से, आवागमन तथा हर दृष्टि से रामनगर को अनुमंडल बनाया जाना चाहिए था क्योंकि उससे विकास की गति को और तेज किया जा सकता था लेकिन उसको अनुमंडल न बनाकर आपने बगहा को अनुमंडल बना दिया। रामनगर से बगहा जाने के लिए 75 किलोमीटर की दूरी तय कर जाना पड़ता है। उसी तरह लौरिया जाने के लिए भी 50 किलोमीटर हो कर जाना पड़ता है और फिर बगहा जाने के लिये 50 किलोमीटर जाना पड़ेगा। इस तरह लौरिया, नरकटियागंज आदि स्थानों के लिये उचित अनुमंडल रामनगर ही था और उनके लिये रामनगर ही सुविधाजनक जगह होती। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री जनार्दन तिवारी—उपाध्यक्ष महोदय, इस राज्य में जिस ढंग से खुली डकैती हो रही है, ट्रेन में डकैती हो रही है इसको रोकने के लिए बार-बार हम लोगों ने मुख्य मंत्री को सुझाव दिया कि पुलिस बल इसके लिए बढ़ाया जाय, हर थाने को कम से कम एक जीप दिया जाय लेकिन वह काम मुख्य मंत्री नहीं कर रहे हैं। जीप किसको दिया जायगा, तो सिंचाई विभाग को जिसको कोई काम ही नहीं है? सिंचाई विभाग में जितनी भी चीजें बननी थीं, बन गयीं, डैम बन गए अब उनको जीप की कोई आवश्यकता नहीं है। जीप को लेकर वे दुर्व्यवस्था कर रहे हैं।

सिंचाई विभाग के डायरेक्टर ऑफ परचेज ने 1982-83 में कागज पर 150 जीप खरीदा। 75 जीप तो महेन्द्रा कंपनी से आ गए लेकिन 75 का दाम लोग बंदरबांट कर खा गए। तो इसकी जांच होनी चाहिए। इस प्रकार का घोटाला इस राज्य में सिंचाई विभाग में हो रहा है।

इनके राज्य में नीचे से ऊपर तक भ्रष्टाचार भरा हुआ है। मिनिस्टर, आयुक्त तक इसमें लिप्त हैं। माननीय सदस्य श्री विजय शंकर दुबे यहां बैठे हुए हैं। छपरा में श्री विद्यार्थी एक ज्वाइंट रजिस्ट्रार हैं। [***]

उस ज्वाइंट रजिस्ट्रार को श्री विजय शंकर दुबे के कहने पर आदेश दिया गया कि उन्हें वहाँ से हटाया जाय लेकिन फाइल को लेकर स्टेट मिनिस्टर बैठे हैं। हरिजन के नाम पर यह कुकर्म हो रहा है। ब्राह्मण चोर नहीं होता है, हरिजन चोर नहीं होता है, भूमिहार चोर नहीं होता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि उसको देखिए और तुरत हटाइए।

आप देखेंगे, इनके राज्य में आई० ए० एस०, आई० पी० एस० अफसरों पर दुनिया भर के भ्रष्टाचार के आरोप लंबित हैं। अगर कोई मुख्य मंत्री के पास उन पर

[***] इसे आसन के आदेश से विलोपित किया गया।

कार्रवाई के लिए जाय तो फट वे उनको अलग कर देते हैं और कहते हैं कि इसको छोड़ा जाय। जैसे हारूल रशीद और मंकू राम। हम कुछ बोलेंगे तो आप कहेंगे कि मियां है इसलिए बोल रहे हैं या हरिजन है इसलिए बोल रहे हैं। तो जो चोर, डकैत हो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, यही मैं कहना चाहता हूँ।

मंत्रिमंडल में भी भ्रष्टाचार भरा पड़ा है। कुछ दिन पहले मुख्य मंत्री ने कुछ मंत्रियो को हटाया। [***]

तो उपाध्यक्ष महोदय, इनका 20 सूत्री प्रोग्राम चल रहा है, इसको हम 420 सूत्री प्रोग्राम कहते हैं। इनको तो एक प्रोग्राम चलाना चाहिए कि इस प्रदेश में बिजली कैसे आये......

श्री महेन्द्र नारायण झा—उपाध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। 20 सूत्री प्रोग्राम पर पार्लियामेन्ट और असेम्बली ने मुहर लगा दिया है कि यह एक नेशनल प्रोग्राम है और ये 420 सूत्री प्रोग्राम कहते हैं, इससे पार्लियामेन्ट और असेम्बली का अपमान होता है।

उपाध्यक्ष—आप इनको बोलने दें।

श्री महेन्द्र नारायण झा—हम इस पर आप का स्पष्ट नियमन चाहते हैं। पार्लियामेन्ट और असेम्बली में स्वीकार किया है कि यह 20 सूत्री प्रोग्राम नेशनल प्रोग्राम है। इसलिए आप इस पर नियमन दें।

उपाध्यक्ष—20 सूत्री के बारे में, इसके औचित्य के संबंध में इन्होंने नहीं कहा है, इन्होंने व्यंग्य के रूप में कहा है।

श्री रघुनाथ झा—यह सही है कि 20 सूत्री कार्यक्रम हमलोगों का है। 420 सूत्री कार्यक्रम इनका है, उसी के बारे में इन्होंने कहा।

श्री जनार्दन तिवारी—श्री उपाध्यक्ष महोदय, सेन्ट्रल डिवीजन, पी० डब्लू० डी०, पटना के कार्यपालक अभियंता ने 1982-83 वर्ष में डेढ़ करोड़ रुपया बिना केबिनेट के संज्ञान के, बिना डिपार्टमेन्ट को जानकारी दिये, कलकत्ता रिजर्व बैंक से निकाल लिया है और सारे रुपये को बंदरबांट कर लिया है। इस तरह का काम मिनिस्टर ऑफिसर्स से मिल-जुलकर कर रहे हैं। इस प्रदेश को लूटा जा रहा है, लूटने का काम जारी है। इसलिये मैं कहना चाहता हूँ कि इस लूटेरे सरकार को रहने का कोई हक नहीं है, कोई हक नहीं है।

श्री राम जयपाल सिंह यादव—उपाध्यक्ष महोदय, जो बजट विधान-सभा में सरकार ने पेश किया है, उसके समर्थन में बोलते हुए मैं यह कहना चाहता हूँ कि मैं आंकड़ों के

[***] आसन के आदेश से विलोपित किया गया।

जाल में फंसना नहीं चाहता हूं, इसलिए कि हमारे मुख्य मंत्री जी अर्थशास्त्री हैं, सरकार की तरफ से आंकड़े तैयार किये जाते हैं और उसे सरकार की तरफ से सदन के सामने रखा जाता है। विरोधी दल के नेता श्री कर्पूरी ठाकुर ने भी आंकड़ा पेश किया है, श्री पूर्वे जी ने भी आंकड़ा पेश किया है, संयोग से श्री राम लखन सिंह यादव भी आंकड़े पेश करके रह गये।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं कुछ जमीन की बात कहना चाहता हूं, इसलिए थोड़ा अधिक समय मुझे देने की कृपा करेंगे। मैं कहना चाहता हूँ कि सारी दुनिया जानती है, सारे हिन्दुस्तान के लोग जानते हैं कि नया 20 सूत्री कार्यक्रम जो है, उसमें ज्यादा-से-ज्यादा जो वीकर सेक्शन के लोग हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, उन्हें ऊपर उठाने की कोशिश की गयी है, उन्हें स्वावलंबी बनाने की कोशिश की गयी है। 20 सूत्री कार्यक्रम को आइटम-वाइज देखा जायगा तो यह पायेंगे कि सिंचाई विभाग के मद में खर्च करना है, किसानों की सुविधा के मद में खर्च करना है लेकिन दो-तीन आइटम्स ऐसे हैं, मैं मानता हूँ कि ये आइटम्स वीकर सेक्शन के लिये जरूरी हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि इस राज्य के शहर में, देहात में जो बड़े लोगों के लिये सरकार के माध्यम से जो जमीन ऐक्वायर की जाती है वह गरीबों की जमीन ऐक्वायर की जाती है, उस जमीन पर बड़े लोग, मध्यम वर्ग के लोग, कर्मचारी या वेस्टेड इन्टरेस्ट के लोग या पदाधिकारी जो हैं उन गरीबों की जमीन उनलोगों के बसाने के लिए टोला बनायी जा रही है, उनके लिए मकान बनाये जा रहे हैं वीकर सेक्शन के लिए मुख्य मंत्री ने घोषणा की थी, हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन ने घोषणा की थी कि वीकर सेक्शन के लोग जो देहातों में रहते हैं या जो बंधुआ मजदूर हैं, जो गुलामी की जिन्दगी बसर करते हैं उनको मकान देंगे तथा उनको बसाया जायगा। मैं कहता हूँ कि यह एक योजना है लेकिन इस योजना को सबोटेज करने के लिये बड़े लोग, वेस्टेड इन्टरेस्ट के लोग काम कर रहे हैं। इसका मैं एक उदाहरण देता हूँ। सन् 1975 साल में अगस्त-सितम्बर में जब मैं रेवेन्यु मिनिस्टर था तथा रिहैबिलिटेशन मंत्री भी था तो उस समय के बीस सूत्री कार्यक्रम के अनुसार जब समस्तीपुर जिला के रोसरा थाने के चार सौ वीकर सेक्शन परिवारों ने दरखास्त दी तो मैंने उसकी जांच करवायी और यह महसूस किया कि इन चार सौ परिवारों को गांव से अलग बसाया जाय ताकि गुलामी की जंजीर से सरकार उसको मुक्त कर सके। 1975 से यह काम शुरू हुआ। लेकिन आज मैं कहना चाहता हूँ कि मुख्य मंत्री के आदेश के बदलने के कारण, मैं ऐन्टी ब्युरोक्रेसी की बात नहीं करता हूँ, क्योंकि जो ब्यूरोक्रेसी ने या जो आई० ए० एस० अफसर ने रिपोर्ट दी कि उन गरीब

परिवारों को उक्त जमीन पर बसाया जाय ताकि वे लोग गुलामी से मुक्त हों लेकिन मुख्य मंत्री ने अंत में आदेश दिया कि मेम्बर, बोर्ड आफ रेवेन्यू जांच करके रिपार्ट दें। मेम्बर, बोर्ड आफ रेवेन्यू ने रिपोर्ट दी उसी जमीन पर उन्हें बसाया जाय क्योंकि अभी जिस जमीन पर बसाने की बात है उसपर बरसात के दिनों में चालीस फीट पानी रहता है।

श्री रामाश्रय राय—मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। यह सारा मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। इसलिये सुप्रीम कोर्ट में जो मामला है उसपर बहस नहीं होनी चाहिये।

श्री राम जयपाल सिंह यादव—मैंने उस गांव का नाम नहीं लिया है न किसी व्यक्ति का नाम लिया है। मैं कह रहा था था कि मुख्य मंत्री का मोटिव क्या है, वह वेस्टेड इन्टरेस्ट से प्रभावित होकर काम करते हैं और डिफरेंट आदेश देते हैं ताकि वीकर सेक्शन के लोग बस नहीं सके। मैं कहता हूं कि जो बड़े भूमिपति हैं, जो बड़े लोग हैं वे बीस सूत्री कार्यक्रम में अड़चन हैं यही कहने का मतलब है।

श्री महेन्द्र नारायण झा—उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट ऑफ ऑर्डर है। इन्होंने कहा कि भेस्टेड इनटेरेस्ट से प्रभावित होकर मुख्य मंत्री ने आदेश चेन्ज किया। (शोरगुल) इसका प्रमाण आपके सामने रखना चाहिए कि कौन-सा मामला बनता है।

श्री राम जयपाल सिंह यादव—उपाध्यक्ष महोदय, मैं अब दूसरी बात कहना चाहता हूं। पूरी छानबीन के बाद, पूरी जांच करने के बाद यह तय पाया गया कि आज हिन्दुस्तान में सबसे वीकर सेक्शन, सबसे गरीब आदिवासी है और आदिवासियों का एक्सप्लोलाइटेशन अंग्रेजों के जमाने से अभी भी कुछ-न-कुछ होता रहता है। इसलिये प्लानिंग कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार, केन्द्रीय सरकार की रिपोर्ट के अनुसार और प्रधान मंत्री के निर्देश के बाद 20 सूत्री कार्यक्रम में आदिवासियों के लिये प्लान हुआ। आदिवासी एरिया में सबसीडी देकर उनकी आर्थिक स्थिति सुधारने और उन्हें स्वावलम्बी बनाने की कोशिश की गयी। यह बात सही है, जैसाकि माननीय सदस्य श्री जनार्दन ने कहा कि करोड़ों रुपया प्रति साल छोटानागपुर और सिंहभूम में एनिमल हसबेंडरी विभाग के माध्यम से आदिवासियों को पहुंचाने को कोशिश की जाती है। सरकार करना चाहती है, प्रोविजन है, पैसा है लेकिन रांची में मुट्ठी भर दो चार सप्लायर और अफसर हैं, जो अनुदान आता है उसको रांची में बैठकर हरिजन-आदिवासी के नाम पर आडम्बर बना देते हैं। इस संबंध में मैं कहना चाहता हूं कि श्री सक्सेना को पोस्टिंग कमिश्नर के पद पर हुई। आप और हम दोनों जानते हैं कि श्री सक्सेना को एक्स-

पोलाइटेड आदिवासियों के लिये विकमेश है। वे चाहते हैं कि उसका उद्धार हो सके, वे निर्भीक हो सके। सक्सेना ने वहां काम करना शुरू किया, रांची के जंगलों में जाकर गांव-गांव में घूमना शुरू किया, झोली में नास्ता और पानी लेकर सुदूर जंगलों में जाकर, गांवों में जाकर पता लगाने लगा कि वहां गरीबों को कितनी बकरी दी गयी है, बकरी के लिये कितना फी दाना दिया गया है, सुअर और मुर्गी के लिये कितना फी दाना दिया गया है, सबसीडी का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं, मैं हाल में रांची गया था, एक महीना पहले भी छोटानागपुर और रांची गया था। जब सक्सेना इस तरह का काम करना शुरू किया तो रांची का सिन्डिकेट इतना मजबूत है कि सक्सेना की बदली हो गयी। उसके बाद हरिशंकर सिंह आये। ये भी औनेस्ट अफसर हैं और इमानदारी के साथ आदिवासियों की सेवा करना चाहते हैं। लेकिन एक-दो महीने में इनकी भी बदली हो गयी। अभी रामउपदेश सिंह आये हैं। मैं मानता हूं कि ये भी एक अच्छे अफसर हैं लेकिन जंगलों में जो गांव बसे हुए हैं वहां ये जा सकेंगे या नहीं, यह आगे को बात है। लेकिन मैं कहता हूं कि जो अफसर, अनुदान का रुपया मिलना है उसको सही रूप में जांच करना चाहता है तो उसको बदली हो जाती है। रात में जब सिन्डिकेट के लोग, सप्लायर और अफसर बैठते हैं तो कहते हैं कि सक्सेना को बदली करने में तीन लाख रुपया का चन्दा करना पड़ा, हरिशंकर सिंह को बदली करने में डेढ़ लाख रुपया का चन्दा करना पड़ा।

डॉ० विजय कुमार सिंह—उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट औफ औडंर है। माननीय सदस्य ने कहा कि तीन लाख रुपया बदली करने में व्यय हुआ, तो वह तीन लाख रुपया किसको दिया गया ?

उपाध्यक्ष—यह प्वायंट औफ औडंर का सवाल नहीं है।

श्री राम जयपाल सिंह यादव—इसलिये मैं कहना चाहता हूं उपाध्यक्ष महोदय, कि वीकर सेक्शन के लिये जो कांग्रेस का कार्यक्रम है, जो 20 सूत्री कार्यक्रम है, जो प्रधान मंत्री की मंशा है गरीबी हटाने की, वह नहीं हो रहा है।

आज स्थिति ऐसी है कि मुख्य मंत्री के आदेश को कोई नहीं मानता है। हमारे एक साथी हैं छपरा में एडवोकेट श्री राधेश्याम सिंह जो प्रसिद्ध क्रिमिनल केसेज के एडवोकेट हैं और कांग्रेसी भी हैं, एक दिन छपरे में उनसे भेंट हुई तो उन्होंने कहा कि हमारा बेटा डाक्टर है और मुख्य मंत्री का आदेश लेकर उनके ट्रान्सफर के लिये जब मैं सचिवालय सहायक के पास गया तो डिलिंग एसिसटेंट ने कहा कि 500 रुपया दीजिये तब काम

होगा। इस पर वे बिगड़े कि मुख्य मंत्री के आदेश के बाद यह 500 रुपया किस चीज का तो उसने कहा कि यह आदेश क्या आप मंगनी लाये हैं ? तो एक भी ट्रान्सफर टेसटिंग बिना पैसा दिये आज सचिवालय में नहीं होता है। ऊपर से लेकर नीचे तक मंत्री और मुख्य मंत्री का आदेश का कार्यान्वयन नहीं होता है यह स्थिति हो गयी है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि आप जानते होंगे कि आजादी के पहले और खासकर गांव के लोग, पिछड़े वर्ग के लोग, गरीब लोग गुलामी की जिंदगी बसर करते थे। आजादी के बाद ये पिछड़े वर्ग के लोग कुछ पढ़े हैं, लिखे हैं, धन उपार्जन भी किये हैं लेकिन जहां तक सरविस की बात है 1967 में कृष्णवल्लभ बाबू और सत्येन्द्र बाबू, उस समय मैं भी कांग्रेस में आ गया था, ऑफिसियल के द्वारा वोट मैनेज करने की बात सोचते थ लेकिन विरोधी दल के लोग कनफुसकी किया और पूरे प्रान्त में वे लोग सफल हो गये। आज भी ऐसे ही तबके के ऑफिसर पोस्ट किये जाते हैं और जो पिछड़े वर्ग के लोग पढ़े-लिखे हैं, कर्मठ हैं, इमानदार हैं, एस० डी० ओ० लिस्ट में और डी० एम० के लिस्ट में इनका नाम है लेकिन पोस्टिंग नहीं हो रही है। पोलिटिकल मैनेजमेंट और वोट मैनेजमेंट के लिये कितने जिले हो गये, कितने सब-डिविजन हो गये लेकिन इस वर्ग के पदाधिकारी जिनकी संख्या अधिक है, उनकी पोस्टिंग नहीं हो रही है। प्रशासन में उनका सहयोग नहीं लिया जा रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि बिहार में इसका असर पड़ता है। और अगर पिछड़े वर्गों के ऑफिसरों को सहायता नहीं ली जाती है तो इसका नतीजा सही नहीं होगा। मुझे गांव में जाने का मौका मिला है लोगों के बीच में जब जाने का मौका मिलता है और ऑफिसरों से बात होती है तो उनकी बात जब में सुनता हूं तो मैं अपने को कोसता हूं, मुख्य मंत्री को कोसता हूं। मैं मुख्य मंत्री से कहना चाहता हूं कि परिस्थिति अच्छी नहीं है। पार्टी का जो सिद्धान्त है उसपर चलके, पार्टी के कार्यक्रमों को लागू करके गरीबों को अपने पक्ष में लाने का काम करें नहीं तो जिस तरह 1967 में विरोधियों ने मिलकर वोट को बर्बाद किया था, वही स्थिति फिर होगी।

श्री नारायण यादव—उपाध्यक्ष महोदय, डॉ० जगन्नाथ मिश्र की सरकार अभी की हो या इसके पूर्व की। जो इनकी सरकार थी, उस समय और आज भी इनके बजट में आंकड़ा का अनुपात भले ही हो, इनके बजट में नयी-नयी घोषणायें और नये-नये वादे सिर्फ किये जाते हैं। लेकिन इनका बजट दिशाविहीन होता है, सिद्धान्तविहीन होता है। और स्थिति यह हो गयी है कि देहातों में साढे सात बजे जब रेडियो खोलकर सुनते हैं तो जैसे ही डॉ० जगन्नाथ का नाम आता है तो लोग कहते हैं कि जरूर झूठी घोषणा हो रही है, झूठे वादे हो रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि

स्थिति यह हो गयी है कि मुख्य मंत्री जो घोषणा करते हैं उसपर जनता का विश्वास उठ गया है। चन्डी विधान सभा के चुनाव में आपने देखा होगा कि इनके काले कार-नामे किस तरह उजागर हुए। ये नया-नया पुल और भवन का उद्घाटन कर लोगों को ठगते हैं। जनता अब समझ गयी है और जनता इनके भुलावे में नहीं आना चाहती है। उपाध्यक्ष महोदय, आपको आश्चर्य होगा कि विधान सभा में माननीय मुख्य मंत्री और इनके मंत्री आश्वासन देते हैं और जब आश्वासन की पूर्ति की बात करते हैं तो इनके अधिकारी कहते हैं कि यह आश्वासन पूरा नहीं हो सकेगा क्योंकि मंत्री ने बिना समझे बूझे, बिना हमलोगों से विचार विमर्श किये सदन में एलान कर दिया। इनको डूबकर मर जाना चाहिये कि इनके ऑफिसर यह कहें कि बिना समझे बूझे आश्वासन दे देते हैं, बिना पैसे का प्रावधान किये हुए आश्वासन दे देते हैं। इसलिये यह आश्वासन पूरा होना संभव नहीं है। सरकार का स्थिति कहीं ठीक नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हू कि माननीय सदस्य चाहे इस पक्ष के हों या उस पक्ष के हों, प्रतिष्ठा का हनन हुआ है। 1952 से लेकर अबतक इनके समय में जितनी मर्यादा विधायक की गिरी है उतनी कभी किसी के समय नहीं गिरी थी। इन्हीं के पार्टी के सदस्य श्री आदित्य सिंह बुरका पहन कर पिछले दरवाजे से भाग गये। मैंने जब उनसे पूछा तो कहा कि जमानत टूट गया था। इसमें उनको भागने की क्या जरूरत थी ? उपाध्यक्ष महोदय, आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि विधान सभा की एक कमिटी जो प्रमुख कमिटी है प्राक्कलन समिति उसके संयोजक श्री सुरेश यादव भागलपुर गये थे। उन्होंने डी० आई० जी० से हाई स्कूल, शम्भूगंज के प्रधान अध्यापक कमलेश्वरी यादव के बारे में उनसे कहा कि इनको गलत ढंग से फंसा रहे हैं। जब दारोगा और डी० एस० पी० ने जब चार्जेज से फ्री कर दिया है तब फिर उनपर कारंवाई करने का क्या जरूरत है। भागलपुर के डी० आई० जी० ने और एस० पी० ने सी० एम० को इनके खिलाफ लिखा है कि ये नाकाबिल एम० एल० ए० हैं, यही स्थिति है आज विधायकों की मर्यादा की। इनको स्तीफा कर देना चाहिये कि एक सदन के कमिटी के संयोजक के खिलाफ भागलपुर का एस० पी० इस तरह की बात लिखता है। ये सदस्य इनकी पार्टी के हैं। माननीय सदस्य श्री तुलसी रजक को सड़क पर घुमाया गया। मैं कुछ और उदाहरण देता लेकिन समय बहुत कम है। आपने देखा होगा कि इनका अफसर तंत्र कितना बढ़ गया है। श्री रघुनाथ झा, श्री राजो सिंह जो अभी मंत्री नहीं हैं लेकिन इनलोगों के मंत्रित्व काल में जब ये लोग अफसरों को डाटते थे कि यह काम करो, सरकारी आदेश का कार्यान्वयन करो तो इन अफसरों ने इन लोगों की मीटिंग का बायकाट करना शुरू कर दिया। बड़ी मुश्किल से अफसरों को मनाया

गया। मैं कहना चाहता हूँ कि मुख्य मंत्री जी के शासन काल में अफसरों का मनोबल बढ़ता जा रहा है। आज एक विधायक की दुर्गति होती है तो क्या वह दूसरे विधायकों की दुर्गति नहीं होगी, आज एक मंत्री की दुर्गति होती है तो कल मुख्य मंत्री का दुर्गति होगी और जब इनका आदेश कोई नहीं मानेगा त क्या होगा? अध्यक्ष महोदय, ये लोग भ्रष्टाचार की बात करते हैं। सिंचाई मंत्री डॉ० उमेश्वर प्रसाद वर्मा के खिलाफ में 37 विधायकों ने जब लिखकर दिया तो उनका क्या बयान हुआ। चाहे इस पक्ष के माननीय सदस्य हों या उस पक्ष के माननीय सदस्य हों सबका उन्होंने इसमें समेटा है पैरवीकार कह करके। उनका कहना है कि ये ज: आरोप लगाये गये हैं उस पर उनको विश्वास नहीं है। जितने आरोप लगाने वाले विधायक हैं वे सब पैरवीकार हैं। उन्होंने सत्ता पक्ष के विधायकों को भी नहीं बक्शा है। सिंचाई विभाग के एक कार्य का उल्लेख मैं करना चाहता हूँ कि डकरा नाला मुंगेर जिला में है। वहाँ एक श्री मंडल ने और एक श्री पासवान ने डी० एम० को सूचित किया कि 1 लाख 20 हजार बोरा सिमेंट जो पहले आया था वह गायब हो गया है। अभी सिमेंट वहाँ कितना है मात्र 15 हजार। 1 लाख 5 हजार बोरा सिमेंट 18 महीने में गायब हो गया। डकरानाला में एक इंच भी पक्का कार्य नहीं हुआ है। अभी वहाँ कच्चा वर्क्स चल रहा है। कच्चा वर्क में 1 लाख 5 हजार बोरा सिमेंट गायब हो गया। इस सिलसिले में असेम्बली में क्वेश्चन (तारांकित प्रश्न) भी हुआ था लेकिन संयोग से वह डिस्कसन में नहीं आया। हमलोगों की सूचना के अनुसार मि० दास गिरफ्तार हुए थे

17 मई को और जब कलक्टर साहेब 18-19 मई को आये तो कहा कि एग्जीक्यूटिव इन्जीनियर जिनका नाम श्री जानकी रमण सिंह है, को गिरफ्तार करो। कलक्टर गये दूसरे दिन तो एस०पी० ने कहा कि बिना प्राईमाफेसी केस के गिरफ्तार नहीं करेंगे। एस० पी० ने बोरे की गिनती करवायी। 150 बोरे गिनती में गायब पाये गये। रजिस्टर में जितना होना चाहिए था उससे 150 बोरे कम सिमेंट पाये गये। दूसरे दिन एस० पी० और एस० डी० ओ० ने एग्जीक्यूटिव इन्जीनियर को गिरफ्तार किया और एक मि० भगत, जूनियर इन्जीनियर को भी गिरफ्तार किया। उपाध्यक्ष महोदय, आपको आश्चर्य होगा ये लोग 12 घंटे तक हाजत में रहे होंगे। कलक्टर साहेब बाहर चले गये थे। दूसरे दिन जब लौट कर आये तो उनको कहा गया कि एग्जीक्यूटिव इन्जीनियर गिरफ्तार हो गये। हमारे यहाँ जो डी० एम० हैं ये पहले एग्जीक्यूटिव इन्जीनियर थे। हमारे यहाँ मि० बी० एन० मिश्र एग्जीक्यूटिव इन्जीनियर थे जो अपने को जगन्नाथ मिश्र का मौसेरा भाई कहते हैं, अब पता लगाया जाय कि ये मौसेरा भाई हैं या नहीं। उन्होंने कहा कि एग्जीक्यूटिव इन्जीनियर की गिरफ्तारी अवैध हुई है जबकि एक दिन पहले उन्होंने

कहा था कि इसको गिरफ्तार किया जाय। पता नहीं फिर बीच में ऐसा क्या घोटाला हुआ जो ये कहने लगे कि इनकी गिरफ्तारी अवैध हुई है और डी० एम० का मौखिक आदेश हुआ उनकी रिहाई के लिए। एस० पी० ने इस बात को स्वीकार किया है कि जगन्नाथ मिश्र जी के जो मौसेरे भाई डी० एम० हैं उनके मौखिक आदेश से एग्जीक्यूटिव इन्जीनियर, श्री जानकी रमण सिंह, डॉ० उमेश्वर प्रसाद वर्मा के विभाग के कार्यपालक अभियन्ता जिसने एक लाख 5 हजार बोरे सिमेंट गायब किया है, उनके मौखिक आदेश से छोड़ा जाता है।

उपाध्यक्ष—अब समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री नारायण यादव—अब मैं एक दो मिनट में समाप्त कर दूंगा। अब मैं कहना चाहता हूँ कि सरकार ने एलान किया और अभावग्रस्त क्षेत्र की घोषणा हुई। पूरे बिहार की बात है। डॉ० जगन्नाथ मिश्र की दोरंगी चाल है बिहार की जनता को भूखे मारने की। एक तरफ तो इन्होंने अभावग्रस्त क्षेत्र घोषित किया और दूसरी रिलीफ कमीश्नर की चिट्ठी में आदेश दिया गया है कि सख्ती से रेन्ट कलेक्शन करो। एक तरफ आप सस्ती रोटी की दूकानें चला रहे हैं और दूसरी तरफ रिलीफ कमीश्नर की चिट्ठी जाती है कि सख्ती से रेंट वसूली करो। हमने एस० डी० ओ० से पूछा कि ये जो सी०ई०ओ० रेंट की वसूली कर रहे हैं क्या वह अपने मन से कर रहे हैं तो उन्होंने रिलीफ कमीश्नर की चिट्ठी दिखलायी। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि जिस निकम्मेपन के साथ इस सरकार का कार्य हो रहा है इसलिए वैसे सरकार को एक पैसा देना भी सार्थक नहीं होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बजट का विरोध करता हूँ।

श्री युगेश्वर झा—उपाध्यक्ष महोदय, मैं बजट का समर्थन करते हुए यह कहना चाहता हूँ कि वर्तमान सरकार ने जो क्रांतिकारी कदम उठाया है वह सबके सामने है। विधान सभा के सदस्य होने के नाते हमलोगों को बजट की तथा सरकार के क्रिया कलापों की समीक्षा सही ढंग से करनी चाहिए। पिछले तीन वर्षों में इस सरकार ने जो कुछ काम किया है वह सबों के सामने है। यह बिहार प्रांत है और अनेक जटिल समस्याओं से जकड़ा हुआ है। यह सही है कि जिस अनुपात में प्रगति होनी चाहिए थी नहीं हुई है लेकिन विपक्ष की ओर से यह कहा जाना कि विकास का काम पिछले वर्षों में नहीं हुआ है बिलकुल गलत है। सरकार के कार्यों की समीक्षा, विधि व्यवस्था की समीक्षा सही रूप में करनी चाहिए। वृद्धावस्था पेंशन देना क्या सरकार के लिए तथा लोगों के लिए लाभप्रद नहीं है? प्राइवेट ट्यूब वेल जो चलाए जा रहे हैं क्या इस अकाल के समय किसानों के लाभ के लिए नहीं है?

श्री मुंशीलाल राय—मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। क्या माननीय सदस्य को मालूम है कि हर ट्यूब वेल में बी० डी० ओ० 400 रु० ले रहा है और डी० डी० सी० भी अपना हिस्सा ले रहा है ?

उपाध्यक्ष—यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री युगेश्वर झा—1967 का अकाल हमलोगों का देखा हुआ है, सारे देश में इसके चलते हाहाकार मचा हुआ था। जयप्रकाश नारायण जी को विदेशों के सामने झोलियाँ फैलानी पड़ी थीं। लेकिन गत वर्ष का अकाल 1967 से भी भयंकर था। न भदई की फसल हुई थी और न दूसरी ही फसल हुई थी। लेकिन उसका सामना डॉ० जगन्नाथ की सरकार ने जिस मुस्तैदी के साथ जिस एफिसियेन्सी के साथ किया था उसके चलते एक भी आदमी भूख से नहीं मरा। यह बात लोगों के सामने है। यदि हमलोग दिन को दिन कहेंगे तो विपक्ष अवश्य रात कहेगा और हमलोग रात को रात कहेंगे तो विपक्ष उसे दिन कहेगा।

विधि व्यवस्था की बात लीजिए। मैं नहीं कहता हूँ कि हमारी सरकार आइडियल कंडीशन में है। लेकिन यह बात सही है कि विगत वर्षों में विधि व्यवस्था बहुत सुधरी है। आज विश्वविद्यालयों में आंदोलन नहीं हो रहा है, माइनिंग तथा इन्जीनियरिंग कालेज ठीक से चल रहे हैं। आपने देखा होगा कि 8 विरोधी दलों ने आंदोलन अभी हाल में किया लेकिन उनको जनता का कुछ भी समर्थन नहीं प्राप्त हो सका। क्या यह नहीं कहा जा सकता है कि विधि व्यवस्था अच्छी नहीं है ? हम नहीं कहते हैं कि सतयुग आ गया है लेकिन विगत 3 वर्षों में विधि व्यवस्था में जो सुधार हुआ है वह लोगों के सामने है। डॉ० जगन्नाथ ने एन्टी करप्शन बिल लाकर यह कहा है कि सभी मंत्रिगण तथा विधायक इसके अन्दर आते हैं, मुख्य मंत्री को भी लोकायुक्त के परव्यू में लाया है। है किसी को हिम्मत कहने का कि यह अच्छा नहीं हुआ है ? इसको लाकर उन्होंने दिखा दिया है कि सबों को समान रूप से इसके अन्दर लाया जायगा। इस तरह का बिल लाने का किसी को पहले हिम्मत नहीं हुई थी।

श्री राम परीक्षण साहु—उपाध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का सवाल है। माननीय सदस्य कह रहे हैं कि सम्पूर्ण राज्य के अफसरों को मुख्य मंत्री पुरस्कृत कर रहे हैं तो किस तरह से पुरस्कृत कर रहे हैं ?

उपाध्यक्ष—व्यवस्था का सवाल नहीं है, बैठिए। (शोरगुल)

श्री युगेश्वर झा—उपाध्यक्ष महोदय, हमारे विरोधी पक्ष के लोगों ने और कुछ सत्ता पक्ष के लोगों ने भी भ्रष्टाचार के बारे में बड़े जोर शोर से सदन में भाषण दिया है। मैं

उनसे कहना चाहता हूँ कि जब वे मंत्री पद पर थे तो 100 तक घूस लेते थे। जब मैं छपरा में प्रोफेसर था तो उस समय में अच्छी तरह जानता था कि कौन क्या है ? सारे बिहार को जनता जानती थी कि कौन कितना भ्रष्ट है ? जब जिसको मौका मिलता है वह लूटता है। एक कहावत है कि सौ चूहा खाकर बिल्ली चली हज पर। भ्रष्टाचार के बारे में क्या-क्या कहूँ। जिनका अपना दामन साफ रहता है वे ही आरोप लगा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का हवाला दिया गया है कि मुख्य मंत्री ने आदेश दे दिया है जो सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। मैं उन्हें बतलाना चाहता हूँ कि बोर्ड आफ रेभन्यू ने उसके सम्बन्ध में अनुशंसा की थी और तब उस अनुशंसा के आलोक में मुख्य मंत्री ने आदेश दिया था।

उपाध्यक्ष—आप बैठ जाइए।

श्री युगेश्वर झा—मैं अब अपने क्षेत्र के बारे में कहना चाहता हूँ कि मैं मधुबनी जिले के बेनीपट्टी क्षेत्र से आता हूँ। वह क्षेत्र 25 वर्षों से अविकसित पड़ी थी। कोई विकास का काम वहां नहीं हुआ था। अघवारा नदी पर बांध बनाया जा रहा है। यह 25 करोड़ की योजना है। बाढ़ नियंत्रण के लिए यह बांध बनाया जा रहा है। मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि अघवारा बांध को सिंचाई-सह-बाढ़ नियंत्रण योजना में परिवर्तन की जाये। इससे हरिजन और गिरिजन को लाभ होगा। उपाध्यक्ष महोदय, दरभंगा से कमतौल एक सड़क है जो 1957 में स्वीकृत हुआ था। लेकिन वह सड़क आज तक नहीं बनायी गयी है। मैं सरकार से आग्रह करना चाहता हूँ कि यह सड़क नेपाल सीमा तक जाती है और नेपाल को कनेक्ट कर सकती है। सड़क के बीच में नदी पर छोटे छोटे पुल हैं। मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि उन पुलों को भी बनाया जाय।

श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह—उपाध्यक्ष महोदय, सत्ता द्वारा सदन में जो बजट प्रस्तुत किया गया है उसके विरोध में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। बजट के विषय में कुछ तर्क दूँ या आंकड़ा दूँ इसकी जरूरत मैं नहीं समझता। क्योंकि इस प्रान्त में कोई ऐसी बात विकास को नहीं हुई है बजट के रुपयों का दुरुपयोग छोड़कर सदुपयोग होगा यह सोचना निरर्थक है। आज इस प्रान्त की क्या स्थिति है, प्रशासन की क्या स्थिति है इस पर मैं दो चार उदाहरण देना चाहता हूँ और आपके विवेक और सदन के विवेक पर मैं छोड़ दूंगा। आज बिहार का प्रशासन किस काम में लगा हुआ है ? विधि-व्यवस्था में लगा हुआ है या विकास के काम में लगा हुआ है इसके बारे में मैं कहना चाहता हूँ। मैं प्रशासन पर चार्ज लगाता हूँ कि बिहार प्रान्त का

प्रशासन आज एक ही चीज में लगा हुआ है और वह कार्य है सार्वजनिक जीवन में जितने लोग काम करने वाले हैं, जितने चुने हुए जनता के प्रतिनिधि हैं, चाहे वह पार्लियामेन्ट के सदस्य हों या विधान सभा के सदस्य हों या मुखिया हों उन सभी के चरित्र हनन करने के लिए प्रशासन सुनियोजित ढंग से लगा हुआ है। इसका दो तीन उदाहरण मैं देना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, आप बॉबी हत्याकांड के बारे में जानते हैं। वह इसी विधान सभा की महिला कर्मचारी थी। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि इस राज्य की पुलिस प्रशासन सार्वजनिक जीवन में काम करने वाले विधान सभा या बाहर से चुन कर आये प्रतिनिधि के चरित्र हनन का प्रयास किया जा रहा है। सुनियोजित ढंग से ऐसा कार्य किया जा रहा है। क्या ऐसे प्रशासन से उम्मीद कर सकते हैं कि इस प्रान्त का कल्याण होगा जो दिन रात बैठ करके सुनियोजित ढंग से बैठ कर चरित्र हनन का काम करें ? उपाध्यक्ष महोदय, क्या आपने कभी सुना था कि कहीं भी किसी भी क्राइम को जांच के समय प्रेस कान्फ्रेंस बुलाया जाये ? मैं इसके लिए निश्चित रूप से यहां के जो अखबार के जो लोग हैं उनको भी दोषी मानता हूं। यहां पर विधि-व्यवस्था के नाम पर षडयंत्र किया जाता है और राजनीतिक कार्यकर्ताओं की छवि धूमिल की जाती है। दो मिसाल और मैं पेश करना चाहता हूं। मैं नहीं जानता कि कौन-कौन विधायक ने क्या किया है ? लेकिन मैं दो व्यक्तियों का नाम देना चाहता हूं। श्री आदित्य सिंह और श्री तुलसी रजक का नाम सुना है। श्री आदित्य सिंह और श्री तुलसी रजक के साथ जैसा व्यवहार किया गया वह शर्मनाक है। पहले भी विधान सभा के सदस्य गिरफ्तार होते थे जब श्री बाबू, विनोदानन्द झा चीफ मिनिस्टर थे। उस समय विधान सभा अध्यक्ष के पास अधिकारी आते थे और उनसे गिरफ्तार करने के लिए परमीशन मांगते थे। अभी जिस ढंग से आदित्य सिंह और तुलसी रजक की गिरफ्तारी की गयी, यहां के प्रशासन और अधिकारियों का ज्वलन्त प्रमाण है कि इनका प्रशासन कैसा है और किस तरह से वे अपमानित कर सकते हैं ? सार्वजनिक जीवन के जो कार्यकर्ता हैं उनको जीना दूभर हो गया है। आप बजट की बात करते हैं। प्रशासन इतना भ्रष्ट हो गया है कि किसी का जीवन सुरक्षित नहीं है। हमें आवश्यक बातें कहनी है। आज लोगों पर झूठे मुकदमे दायर किये जा रहे हैं। इसका एक उदाहरण देना चाहता हूं। यह घटना श्री महावीर चौधरी जो प्रश्न एवं ध्यानाकर्षण समिति के चेयरमैन हैं उनके मौजूदगी की है। वे प्रश्न एवं ध्यानाकर्षण समिति के चेयरमैन हैं। मैंने इसी विधान सभा में एक प्रश्न दिया था जिसे इस समिति को सौंपा गया। इसी के जांच के क्रम में यह समिति मेरे क्षेत्र आलमनगर जो मधेपुरा में है, गयी। पुलिस के विरोध में जांच करती थी। इस समिति में

11-12 सदस्य थे। मुझे भी वहां बुलाया गया था क्योंकि मेरा प्रश्न था। एस० पी० आफिस में जांच हुई, थाने की भी जांच हुई। इस तरह से जब से जांच काम समाप्त हुआ तो समिति लौट कर पटना आ गई। तत्कालीन एस० पी०, मधेपुरा ने एक क्राईम मीटिंग बुलायी और उस मीटिंग में एस० पी० ने अपने जिले के सभी पुलिस अधिकारियों को बुलाया और तब डी० एस० पी० से पूछे कि यह जो समिति विधान सभा की आई थी, जांच में उसमें कितने सदस्य थे तो लोगों ने बताया कि 12-12 विधायक आये हुए थे। तब एस० पी० ने कहा कि जितने विधायक आये थे उतने ही केस उस आदमी पर लाद दिया जाय जिसके सम्बन्ध में यह प्रश्न था। देखें विधान सभा के सदस्य क्या कर लेते है? आज राज्य म सार्वजनिक जीवन में काम करने वाले जो लोग हैं वे अगर किसी जांच के काम में जाएँ उन पर या विधान सभा के सदस्य पर झूठा मुकदमा दायर किया जायेगा तो इस स्थिति में कैसे काम हो सकेगा। एस० पी० कहते हैं कि विधान सभा अथवा एम० एल० ए० मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। आज राज्य की यह स्थिति है। ऐसी हालत में यहां कोई भी विकास का काम नहीं हो सकेगा इसलिए इस बजट को पास नहीं किया जाना चाहिए। मैं यही कह कर समाप्त करता हूं।

श्री राम नरेश सिंह—उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बजट का समर्थन करता हूं। आपके माध्यम से सरकार का ध्यान अपने क्षेत्र की ओर आकृष्ट करना चाहता हू। इस राज्य में चापाकल की काफी व्यवस्था की गयी है लेकिन फिर भी जितना चापाकल गाड़ा जाना चाहिये उतना नहीं गाड़ा गया है। ऐसे जिले में तो पानी का भीषण संकट है लेकिन हमारे यहाँ पानी की बहुत ही कमी है। नूरसराय में 25 चापाकल दिया गया लेकिन वहाँ आवश्यकता दो सौ चापाकल की है। अभियन्ता प्रमुख से भी मैंने यह बात उठायी और मैंने हाल में भी कहा है कि मेरे क्षेत्र में और चापाकल दिया जाय लेकिन सरकार का ध्यान इस ओर नहीं जा रहा है इसलिये मैं फिर से सरकार से आग्रह करता हू कि मेरे क्षेत्र नालन्दा जिला में और चापाकल गाड़ा जाय। 1982-83 में 47 लाख रुपया किसानों को बीज के लिए दिया गया। गत वर्ष सितम्बर में एक सेंट्रल टीम आई थी उसने भी कहा था कि नालन्दा जिले की हालत बहुत ही खराब है इसलिये वहाँ ज्यादा साहाय्य दिया जाय लेकिन इस साल इस जिले को सिर्फ 16 लाख रुपया ही दिया गया है जो बहुत ही कम है। जबकि सुखाड़ की भयावह स्थिति है, धान की फसल मारी गयी है और रबी की फसल भी मुश्किल से 20 प्रतिशत हुई होगी और मात्र 14 लाख रुपया दिया जाना, यह उचित नहीं होगा, मैं राज्य सरकार का ध्यान

आकृष्ट करता हूं और मुख्य मंत्रीजी से मांग करता हूं कि वहां कम-से-कम 60 लाख रुपये की व्यवस्था की जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं स्वास्थ्य मंत्री का ध्यान बिहारशरीफ सदर अस्पताल की ओर ले जाना चाहता हूं। अस्पताल का नाम लेने से, स्वाभाविक ही है कि इसकी स्वच्छता की ओर ध्यान चला जाता है, लेकिन सदर अस्पताल को जाकर देखें तो पायेंगे कि वहां काफी गन्दगी है, मरीजों का रहना दुष्कर हो गया है और वहां के जो सिविल सर्जन हैं, जो निष्क्रिय हैं, बड़ा बाबू श्री मनोरंजन शर्मा के माध्यम से ए० एन० एम० के प्रशिक्षण के लिए जो महिलायें राज्य के बाहर जाती हैं, एक-एक महिला कैंडिडेट से 2-2 हजार रुपया लेते हैं, जिन महिला के पास पैसा नहीं है, वे प्रशिक्षण प्राप्त नहीं कर सकीं।

(इस अवसर पर श्री सरयू मिश्र ने सभापति का आसन ग्रहण किया।)

सभापति महोदय, वहां बिजली का संकट भी बहुत है, आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि राजगीर, जो एक अन्तर्राष्ट्रीय स्थल है, जहां देश-विदेश से लोग आते हैं, महीनों महीनों लाईन कटा रहता है, इस ओर सरकार का ध्यान नहीं है। मैं इस ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूं कि जहां देश-विदेश के लोग आते हैं, तमाम जगहों में इसकी प्रतिष्ठा है, वहां सरकार बिजली की अविलम्ब व्यवस्था करे। हमारे चुनाव क्षेत्र में 50 ट्रांसफार्मर बेकार पड़े हुये हैं, जिनमें मुश्किल से पांच ट्रांसफार्मर बदले गये हैं और जो बाकी बच गये हैं, उनको भी बदलने की आवश्यकता है, इस ओर भी मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूं।

सभापति (श्री सरयू मिश्र)—अब आप समाप्त करें।

श्री राम नरेश सिंह—सभापति महोदय, बहुत सारी बातों का जवाब देना है। यहां पर एक नियमन दिया गया, एक माननीय सदस्य श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह ने कहा कि हम सदस्यों के साथ पदाधिकारी गण, सरकारी ऑफिसर लोग और अखबार वाले लोग पड़े हुये हैं, उनकी भावनाओं पर चोट पहुंचा रहे हैं, लेकिन वे खुद क्यों नहीं कहते हैं कि हम एक-दूसरे पर छिंटा-कसी कर प्रेस वाले को मौका देते हैं, इस पर हमलोग सोचें कि वास्तव में वस्तु स्थिति क्या है, किसी के ऊपर बेबुनियाद आरोप लगाना किसी जिम्मेवार आदमी का काम नहीं है। मैंने यहां इस तरह की बात इसलिए उठाया है कि यहां अच्छे लोग हैं, उनको समाज में प्रतिष्ठा है, कोई भी बात स्पष्ट बोलना चाहिये। मैंने कहा कि किसी पर आरोप नहीं लगाया जाए। जैसे हमारे सिंचाई मंत्री श्री वर्माजी

पर आरोप लगाया जाता है। अगर श्री वर्मा भ्रष्ट हैं तो कितने लोग ईमानदार होंगे उसकी सूची तैयार करनी होगी, उसकी सूची बनानी होगी। इसलिए बिना सोचे-समझे आरोप नहीं लगाना चाहिए। इस तरह की परिपाटी नहीं बनायें। मैं माननीय मुख्य मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वे इसमें सुधार करें नहीं तो तमाम लोगों की छवि धूमिल हो जायेगी।

श्री श्रीनारायण यादव—सभापति महोदय, यह सरकार भी लाजवाब है और इसके कार्य भी लाजवाब हैं। इस सरकार ने जो बजट पेश किया है विकास के नाम पर, वह बजट सचमुच विकास के नाम पर बजट नहीं है बल्कि लूट की बजट है। इसलिए मैं सदन से आग्रह करूंगा कि इस सरकार को लूट करवाने की इजाजत नहीं दें। मैं कुछ उदाहरण आप के सामने रखना चाहता हूं। हमारे क्षेत्र में सनहा गोरगावां बांध है। सनहा गोरगावां बांध की योजना बनी तब बरौनी बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल की स्थापना हुई। सभापति महोदय, आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि बरौनी बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल की स्थापना हुई सनहा गोरगावां बांध के लिए लेकिन सनहा गोरगावां बांध का काम नौगछिया बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल को सौंप दिया गया, यह घटना 1979 की है। 1979 में नौगछिया प्रमंडल द्वारा कुछ काम भी हुए और 1980 के प्रारंभ में नौगछिया प्रमंडल और बरौनी बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल में लड़ाई शुरू हुई कि इस बांध को बनाने का हकदार कौन है? 1980 से लेकर 1982 तक यह लड़ाई चलती रही। 1982 में यह तय हुआ कि सनहा गोरगावां बांध का निर्माण बरौनी बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल के तहत रहेगा। सभापति महोदय, आपको यह सुनकर आश्चर्य होगा कि 1979 में मिट्टी जो पड़ी थी उसके बाद एक टोकरी मिट्टी भी इसपर नहीं पड़ी। लड़ाई में दो ढाई साल बीत गया, मुझे हाल में यह जानकर आश्चर्य हुआ कि पुनः सनहागोरगावां बांध को खगड़िया को दे दिया गया है। मैं सिंचाई मंत्री का ध्यान इस ओर ले जाना चाहता हूं कि सनहा गोरगावां बांध गंगा बेसिन में आता है जबकि गंडक बेसिन के लिए अलग प्रमंडल है तो इसका क्या औचित्य है कि इस बांध का आधा काम खगड़िया को काटकर और आधा बरौनी प्रमंडल को दिया गया है। तो ऐसी हालत है, इस सरकार की। इसीलिए मैं कहता हूं कि यह सरकार लाजवाब है और इसका कार्य भी लाजवाब है। दूसरी ओर मैं आपका ध्यान अब ले जाना चाहता हूं। हमारे यहां एक सड़क बनी समस्तीपुर, हसनपुर, मनीपुर। आर० ई० ओ० ने इस सड़क को बनाया। आप को सुनकर आश्चर्य होगा कि जब भ्रष्टाचार का आरोप सरकार पर लगाया जाता है तो उस पक्ष के बैठे हुए लोग प्रत्यारोप करने लगते हैं। मैं कहता हूं कि आपके क्षेत्र में भी ऐसा ही लूट हुआ होगा जो हमारे क्षेत्र में हुआ है। भ्रष्टाचार

पर पर्दा डालकर आप अपना भी अहित करते हैं और राज्य का भी अहित करते हैं। मैं कह रहा था सड़क के बारे में। आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि इस सड़क पर कहीं स्टोन चीप्स नहीं दिया गया है, मिट्टी पर केवल अलकतरा दे दिया गया है, कहीं स्टोन चीप्स दिया गया है तो उस पर अलकतरा नहीं दिया गया है। सभापति महोदय, इतना ही नहीं सड़क जहां 11 फीट होनी चाहिए चौड़ाई तो कहीं पर 9 फीट चौड़ी है और कहीं पर सात फीट चौड़ाई है। इस तरह से वहां के आर० ई० ओ० के कार्यपालक अभियंता ने लूटने का काम किया है। बेगुसराय में आर० ई० ओ० के कार्यपालक अभियंता इस तरह का लूट कर रहे हैं। भोला बाबू यहां पर मौजूद हैं, मैं उनसे आग्रह करना चाहूंगा, वे ईमानदारी से वहां के कार्यपालक अभियंता, के बारे में बतलायेंगे कि वे किस तरह से लूट का काम किया है, बेगुसराय में कौन सा सड़क बनाने का काम किया है, ईमानदारी से बतलाने की कृपा करेंगे। इसलिए सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार ने जो बजट दिया है विकास के लिए वह विकास का नहीं लूट करवाने के लिए दिया है। सभापति महोदय, आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि जो एन० आर० ई० पी० का जो कार्य चल रहा है, जहां कहीं लूट की गुंजाईश है, वहां 60/40 का हिसाब लगाया जाता है और जहां लूट की गुंजाईश नहीं है वहां टेक्नीकल स्वीकृति के नाम दो-दो साल तक रोके रखा जाता है। जो भी योजना अभी चल रहा है, मुझे यह कहने में अफसोस हो रहा है कि सरकार तमाम बातों को सुनती है लेकिन कार्रवाई नहीं करती है। एन० आर० ई० पी० का 80 प्रतिशत बी० डी० ओ० और ठीकेदार के जेब में जाता है, काम फर्जी ठीकेदार करते हैं।

सभापति (श्री सरयू मिश्र)—अब आप समाप्त करें।

श्री श्रीनारायण यादव—मैं अब समाप्त ही कर रहा हूं क्योंकि इन्हें कहने से कोई लाभ नहीं है। इन्हें शर्म और हया नहीं है ये कहते हैं कि हम राज्य का सुनियोजित ढंग से आगे ले जाना चाहते हैं, राज्य का विकास करना चाहते हैं, इस राज्य में विधि व्यवस्था कायम करना चाहते हैं। विधि व्यवस्था की चर्चा जितनी भी करते हैं, इसमें क्या फर्क पड़ता है। आज ऑफिसरों का मनोबल डॉ० जगन्नाथ मिश्र बढ़ाये हुए हैं, कुछ विधायक हैं, इनके कुछ मंत्री हैं, एक दिन ऐसा भी आयेगा कि डॉ० जगन्नाथ मिश्र को भी भुगतना पड़ेगा। इन शब्दों के साथ में पुनः अपील करना चाहता हूं कि इस सरकार को एक पैसा भी नहीं दिया जाए क्योंकि यह बजट लूट का बजट है, विकास का बजट नहीं है।

श्री राजकुमार महासेठ—सभापति महोदय, मैं इस वर्ष के बजट के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। सभापति महोदय, आज तक जितनी बातें सदन के अन्दर

पक्ष और विपक्ष के माननीय सदस्यों ने कहा, मैं उसे बड़े गौर से सुन रहा था और यह महसूस कर रहा था कि जिस तरह की जवाबदेही ट्रेजरी बेन्च पर बैठे मंत्री और सदस्यों की है, उससे कम जवाबदेही विपक्ष बेन्च पर बैठे हुए माननीय सदस्यों और विरोधी दल के नेता की नहीं होती है। अगर बजट में कोई खामियां हैं तो उसको ओर इंगित किया जाए, बजट में आप यदि कोई सुधार चाहते हैं तो उसके बारे में कुछ आक्रोश है तो उस पर अपना विचार रखें। बजट के समय जब आप बोलते हैं, तो आप सदन का समय लेते हैं, लेकिन जब आप अपने भाषण में ऐसा बात बोलते हैं, जिससे बजट में सुधार नहीं होता है, बिहार की जनता का स्तर ऊँचा नहीं होता है समय का सदुपयोग नहीं करते हैं और सिर्फ आरोप प्रत्यारोप में ही समय खत्म कर देते हैं, तो इससे बिहार की जनता पीछे पड़ जायगी।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से बिहार सरकार का ध्यान, दो बिन्दु की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ। पहला यह है कि एक साल के बजट में जितनी राशि का प्रावधान किया जाता है उससे बिहार के अन्दर, जो बेरोजगारी की समस्या है, प्राइस राइज की समस्या है, जो असमानता का समस्या है, वह दूर नहीं हो सकता है। अगर हम आपको 5 मिनट में भोजन खिचड़ी का बनाकर दे देंगे तो वह भोजन अच्छा नहीं कहा जा सकता है। इसके लिए समय चाहिए। तभी आपको अच्छा भोजन मिल सकता है। इसके लिए आपको समय देना होगा। चाहे इस पक्ष के लोग सरकार में रहें या उस पक्ष के। धैर्य रखकर ही योजना को बनाना होगा। सभापति महोदय, हमलोगों ने बिहार को पीछे धकेल दिया है। दो मिनट में मैं अपनी बात को स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। आप सिर्फ मुख्य मंत्री और मंत्रियों पर आरोप लगाकर बिहार की भलाई नहीं कर सकते हैं। इससे बिहार की गरीबी को दूर नहीं किया जा सकता है। अभी मौजूदा विरोधी पक्ष में जो लोग बैठे हुए हैं, क्या वे इस पक्ष में आकर तुरन्त सारी समस्या का निदान कर देंगे।

(इस अवसर पर अध्यक्ष ने आसन ग्रहण किया)

पांच वर्ष की पंचवर्षीय योजना को बीत जाने के बाद भी यहां के प्रति व्यक्ति की आमदनी सिर्फ 84 रु० है। हमारा बिहार पीछे चला जा रहा है हमारा डम्पिंग प्लान 1982 तक पूरा हो जाना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ है। इस पर मुख्य मंत्री को ध्यान देना चाहिए।

(इस अवसर पर श्री मुंशी लाल कुछ कहने के लिए खड़े हुए)

अध्यक्ष—व्यवस्था का प्रश्न है? माननीय सदस्य बैठ जायं।

श्री मुंशी लाल राय—क्या आपका होटल की ठीकेदारी यही लिए हुए हैं ।

श्री राजकुमार महासेठ—अभी हमारे प्रान्त में बेरोजगारी की समस्या है, लेकिन बैंक वाले हमारे आदमी को नहीं लेते हैं । इसलिए मैं चाहूंगा कि यहां के लिए सेपरेट रिक्रूमेंट के लिए अलग से इम्पलाईमेंट एक्सचेंज हो ।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि पिछले वर्ष जो ड्रौट हुआ था उसका जिस तरह से सरकार ने मुकाबला किया उसके लिए मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं । लेकिन अभी जो वर्षा के अभाव में जो भयावह स्थिति पैदा हो गई है और गर्मी फसल के न होने से गरीबों का आहार मारा गया है । इसलिए सरकार से कहना है कि अभी से ही इस संबंध में व्यवस्था शुरू कर दी जाय ताकि गरीबों को राहत मिल सके ।

दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि किसानों का गन्ना जो उनके खेतों में ही अभी तक पड़ा हुआ है और मिल में नहीं जा सका है, इसके लिए मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि कम से कम सकरी, लोहट और रैयाम मिलों से किसानों के गन्ने का दाम जो अभी तक बकाया पड़ा हुआ है उसका भुगतान करा दिया जाय । इससे लोगों के बीच काफी परेशानी है ।

जीवछ नदी पर एक इमबंकमेंट बनाना था जो अभी तक नहीं बनाया जा सका है । इससे हजारों एकड़ जमीन बर्बाद हो रही है । इसलिए सरकार से अनुरोध है कि उसमें एक स्लूइस गेट शीघ्र बनाया जाय ।

अध्यक्ष—अब आप बैठ जायं ।

श्री सुरेन्द्र यादव—अध्यक्ष महोदय, वर्त्तमान सरकार अंधी और बहरी सरकार है । तीन वर्षों से हमलोग बोलते और सुझाव देते आ रहे हैं लेकिन कोई भी कारंवाई नहीं की गई है । सबसे आश्चर्य तो आपको यह सुन कर होगा कि सरकार का हुक्म मानने के लिए कोई भी अधिकारी आज तैयार नहीं है । पूरे बिहार राज्य में इस सरकार के हुक्म का पालन मजाकीय ढंग से करते हैं और अमली रूप से नहीं करते हैं इसके लिए मैं सिंचाई विभाग के बारे में एक उदाहरण देना चाहता हूं । भूतही बलान नदी पर एक सिंचाई योजना 1978 में मधुबनी जिला के लिए बनाई गई और अभी तक वह सिर्फ आधी योजना ही बनाई जा चुकी है । सिंचाई विभाग ने इस योजना का कार्यादेश दिनांक 27 जुलाई, 1982 को सिंचाई विभाग के समस्तीपुर स्थित मुख्य अभियंता, श्री हरेन्द्र सिंह को दिया लेकिन श्री हरेन्द्र सिंह ने उस काम को नहीं किया और वे सारे कागजात आज अधूरा पड़ा हुआ है । 1978 में जब श्री कर्पूरी ठाकुर बिहार के मुख्य मंत्री थे तो उस समय से इस योजना को लिया गया है । इस योजना के

पैसे का उपयोग उस योजना में न कर के दूसरे-दूसरे लूट वाली योजनाओं में किया जाता है। लूट वाली योजना की चर्चा इसलिए में करना चाहता हूं कि पश्चिम कोशी नहर प्रमंडल में रामनगर से खुंजौली तक एक करोड़ रुपए खुलेआम लूट लिया गया है और इस एक करोड़ रुपया को अभियन्ता से लेकर सेक्रेटेरियट के बड़े पदाधिकारी जो हैं उनके द्वारा खुले आम लूट लिया गया है। इसमें सरकार का भी हाथ है। इसमें जो घोटाले किए गए हैं वह बोल्डर को लेकर किए गए हैं। घटिया किस्म के बोल्डर खरीद कर एक करोड़ रुपया गलत ढंग से भुगतान कर दिया गया है लेकिन इस सरकार का हिम्मत नहीं है कि इस पर कुछ भी कार्रवाई करे।

एन०आर० ई० पी० योजना में भी बहुत घोटाला पैसे के बंटवारे में किया गया है। मधुबनी जिला में दो प्रखंड हैं, एक मधेपुर और दूसरा घोघरडीहा। ये दोनों सबसे बड़े प्रखंड हैं। चार-चार लाख रुपया बिहार के हर प्रखंड को दिया गया था, उसी समय मधेपुरा और घोघरडीहा प्रखण्ड को भी दिया गया था। इस ढंग से मुख्य मंत्री न करें और राज्य पर भार न बढ़ावें।

विधान-सभा नियमावली के नियम 41 के अन्तर्गत प्रस्ताव।

अध्यक्ष—मुझे एक सूचना मिली है। बिहार विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियम 41 के अधीन मुझे ससंबंधय कार्य एव सूचना मंत्री से विश्व में भारत की, जो क्रिकेट के संबंध में शानदार विजय हुई है उसके लिए सदन की ओर से एक बधाई संदेश दिया जाय। सभी दल के नेताओं से परामर्श के बाद यह निर्णय लिया गया है। मैं आग्रह करता हूं कि माननीय मंत्री अपने प्रस्ताव को रखने के लिए ......।

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह—बिहार विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के नियम 41 के अधीन में यह प्रस्ताव सदन के समक्ष पेश करता हूं'' :

> "यह सदन विश्व कप क्रिकेट में भारत के ऐतिहासिक विजय के उपलक्ष्य में भारतीय क्रिकेट के कप्तान श्री कपिलदेव एवं उनके टीम के अन्य खेलाड़ियों को हार्दिक बधाई देता है।"

अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि :

> "यह सदन विश्व कप क्रिकेट में भारत के ऐतिहासिक विजय के उपलक्ष्य में भारतीय क्रिकेट के कप्तान श्री कपिलदेव एवं उनके टीम के अन्य खेलाड़ियों को हार्दिक बधाई देता है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।